# संघ लोक सेवा आयोग

**भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026**
**परीक्षा नोटिस सं.07/2026–आईईएस/आईएसएस दिनांक: 11.02.2026**
**(आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख: 03.03.2026)**
**[आयोग की वेबसाइट – https://upsc.gov.in]**

## उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

**पंजीकरण करने तथा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के चार कार्ड्स/मॉड्यूल हैं, जिनमें से तीन यथा अकाउंट खोलना, यूनिवर्सल पंजीकरण तथा समान आवेदन प्रपत्र सभी परीक्षा आवेदनों के लिए एक समान हैं और उम्मीदवार द्वारा किसी भी समय भरे जा सकते हैं जबकि चौथा कार्ड/मॉड्यूल परीक्षा विशेष से संबंधित है जिसे किसी परीक्षा की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर भरा जा सकता है। आवेदक वेबसाइट https://upsconline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।**

**उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जनरेट होती है जो आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए समान होती है। परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र भरने के बाद, आवेदन संख्या जनरेट की जाती है, जो परीक्षा विशिष्ट होती है और आवेदक द्वारा आयोग के साथ किसी भी भावी पत्राचार के लिए इसे यूआरएन के साथ सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। यूआरएन का पंजीकरण जीवन-काल में एक ही बार करना होगा। जहां एक ओर यूआरएन एक ही रहेगा और वही हमेशा प्रयुक्त होगा वहीं दूसरी ओर आवेदन संख्या परिवर्तनीय होगी और प्रत्येक परीक्षा में बदलती रहेगी।**

**आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश देने हेतु विस्तृत अनुदेश और सभी प्रोफाइल/मॉड्यूल के साथ-साथ पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और पहले से अपने अपेक्षित दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने में कोई परेशानी न हो।**

**आईडी तथा अन्य विवरणों के सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आईडी दस्तावेज के रूप में आवेदकों को अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।**

### 1. उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें:

सभी उम्मीदवारों (पुरुष/महिला/ट्रान्सजेंडर) को सलाह दी जाती है कि वे सरकार (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा की नियमावली और इस नियमावली पर आधारित परीक्षा के नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: **अनंतिम** होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। **उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने मात्र का अर्थ यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकार की गई है।** उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग द्वारा मूल प्रमाण-पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाएगा।

**2. आवेदन कैसे करें:**

**उम्मीदवारों को वेबसाइट https://upsconline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉडयूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथे मॉड्यूल अर्थात् परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क तथा केन्द्र आदि सहित) के साथ जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता आदि विभिन्न दावों के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी तथा सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1: आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

टिप्पणी 2: समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव फोटो कैप्चर करना:

समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय आवेदक को अपना फोटो अपलोड करना होगा तथा अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। आवेदक यह सुनिश्चित् करें कि अपलोड की गई फोटो तथा कैप्चर की गई लाइव फोटो आयोग की वेबसाइट **https://upsconline.nic.in** में उपलब्ध "अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न **>** प्रपत्र भरने हेतु अनुदेश **>** फोटो तथा हस्ताक्षर" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

**टिप्पणी 3:** हस्ताक्षर अपलोड करना:

आवेदकों को सादे सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से तीन बार (एक के नीचे एक) हस्ताक्षर करने होंगे और समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर "अनुदेश और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी जाती है।"

**2.1 आवेदन वापस लेना:**

**उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, आवेदन जमा करने के बाद किसी भी क्षेत्र में कोई सुधार/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं है।**

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश **परिशिष्ट-II (क)** में दिए गए हैं, विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

**2.2 उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/ व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।**

**3. <u>आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:</u>**

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **03 मार्च, 2026 को सायं 06.00 बजे** तक भरे जा सकते हैं।

**4. <u>ई-प्रवेश पत्र जारी करना:</u>**

ई-प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख के पहले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को जारी किया जाएगा। **इसके अतिरिक्त जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा की तारीख से सात (07) दिन पहले स्क्राइब को बदलने का विकल्प चुना हो, उन्हें परीक्षा की तारीख से 03 (तीन) दिन पहले ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।** ई-प्रवेश पत्र उम्मीदवार द्वारा डाउनलोड करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट [https://upsconline.nic.in] पर उपलब्ध होंगे। डाक अथवा ई-मेल द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे एकाउंट बनाते समय मान्य और सक्रिय ई-मेल आई डी प्रदान करें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल कर सकता है।

**5. <u>विशेष अनुदेश:</u>**

उम्मीदवारों को "परम्परागत प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश" **(परिशिष्ट-III)** और "वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश" **(परिशिष्ट-IV)** को सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।

**6. <u>ओएमआर पत्रक को भरने के लिए अनुदेश:</u>**

(क) ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में उत्तर लिखने और चिन्हित करने हेतु उम्मीदवार केवल काले रंग के बॉल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करें। अन्य रंग के पेन का प्रयोग प्रतिबंधित है। पेंसिल या स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें।

(ख) उम्मीदवार यह ध्यान दे कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

**7. <u>गलत उत्तरों के लिए दंड</u>:**

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों में गलत उत्तरों के लिए दंड **(नेगेटिव मार्किंग)** का प्रावधान होगा।

**8. <u>उम्मीदवार के लिए सहायता डेस्क:</u>**

आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक विशिष्ट हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता पाने के इच्छुक उम्मीदवार हेल्पलाइन **011-24041001** या ई-मेल आईडी – upscsoap@nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन आवेदन विंडो अर्थात् **11.02.2026 से 03.03.2026** के दौरान सभी कार्य दिवसों में **प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक** कार्यरत रहेगी। आवेदक, शुल्क भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड करने आदि सहित आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

**9. स्क्राइब को बदलना:**

जिन उम्मीदवारों ने स्क्राइब की सेवा का विकल्प चुना है, वे स्क्राइब को बदलने संबंधी अनुरोध **परीक्षा की तारीख से सात (07) दिन पहले तक कर सकते हैं।** ऐसे अनुरोध यूआरएल **https://upsconline.nic.in** पर किए जा सकते हैं। इस प्रकार के अनुरोध की जांच निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार की जाएगी तथा उम्मीदवारों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

**10. मोबाइल फोन प्रतिबंधित**:

(क) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाले डिवाइस या पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच इत्यादि जैसे कोई स्टोरेज मीडिया या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाले किसी अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू रूप में, का प्रयोग करना सख्त मना है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्रवाई सहित भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित भी किया जाएगा।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर अथवा अन्य कीमती/मूल्यवान वस्तुओं सहित प्रतिबंधित सामग्री न लाएं, क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए परीक्षा-स्थल पर कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। आयोग इस संबंध में हुए किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

**11. परीक्षा-स्थल पर रिपोर्ट करना:**

**उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर समय से पूर्व अर्थात् परीक्षा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ होने के कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। किसी भी परिस्थिति में विलंब से परीक्षा-स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

**12. परीक्षा-स्थल पर उम्मीदवारों के लिए फेस-ऑथेंटिकेशन:**

सुरक्षित एवं निर्बाध परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित् करने के लिए सभी उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर अनिवार्य रूप से फेस-ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फेस-ऑथेंटिकेशन/पहचान के सत्यापन तथा फ्रिस्किंग के लिए पर्याप्त समय पहले परीक्षा-स्थल पर पहुंचें।

**13. ऑनलाइन प्रश्न – पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी):**

आयोग इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र (पत्रों) की उत्तर कुंजी के संबंध में परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों द्वारा आयोग को दिए जाने वाले अभ्यावेदनों के लिए पांच (05) दिन अर्थात् परीक्षा की तारीख के तीसरे दिन से सातवें दिन सायं 06:00 बजे तक की समय सीमा प्रदान

करेगा। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर लॉगिन करें तथा प्रश्न पत्र के संबंध में अभ्यावेदन यदि कोई हो, तो परीक्षा > प्रश्न पत्र संबंधी अभ्यावेदन शीर्ष के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। ई-मेल/डाक/दस्ती रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा और आयोग इस संबंध में उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। 05 दिन की विंडो के बंद होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन करने की अनुमति नहीं है।**

**सरकार ऐसा कार्मिक बल तैयार करने के प्रति प्रतिबद्ध है, जो महिलाओं और पुरुषों के संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवेदन करें।**

**संख्या12/03/2025-प.ख** – भारत के राजपत्र के दिनांक**11 फरवरी, 2026** में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा-2 में उल्लिखित सेवाओं के कनिष्ठ समय वेतनमान में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा **19 जून, 2026** से एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी।

(क) परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी:

| **क्र. सं.** | **केंद्र** | **क्र. सं.** | **केंद्र** |
|---|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 12. | जयपुर |
| 2. | बेंगलुरु | 13. | जम्मू |
| 3. | भोपाल | 14. | कोलकाता |
| 4. | चंडीगढ़ | 15. | लखनऊ |
| 5. | चेन्नई | 16. | मुम्बई |
| 6. | कटक | 17. | पटना |
| 7. | दिल्ली | 18. | प्रयागराज (इलाहाबाद) |
| 8. | दिसपुर | 19. | शिलांग |
| **9.** | **फ़रीदाबाद** | 20. | शिमला |
| **10.** | **गाजियाबाद** | 21. | तिरुवनंतपुरम |
| 11. | हैदराबाद | | |

आयोग अपने विवेकानुसार, परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा उसके आयोजन की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। आवेदक यह नोट करें कि **अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर तथा कोलकाता** को छोड़कर प्रत्येक केन्द्र पर आबंटित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा (सीलिंग) निर्धारित होगी। केन्द्रों का आबंटन "**पहले आवेदन-पहले आबंटन**" के आधार पर किया जाएगा और किसी केन्द्र विशेष की क्षमता पूरी हो जाने के उपरांत, वह केन्द्र गैर-पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं होगा, तथापि, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार इच्छित केन्द्र के विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। सीलिंग के कारण जिन उम्मीदवारों को अपनी पसंद का केन्द्र प्राप्त नहीं होता उन्हें शेष केन्द्रों में से कोई केन्द्र चुनना होगा। अत: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें ताकि उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र प्राप्त हो सके। यदि कोई उम्मीदवार अपने ई-प्रवेश पत्र में आयोग द्वारा उल्लिखित परीक्षा-स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा-स्थल पर उपस्थित होता है, तो ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**विशेष ध्यान दें: पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद,** आयोग को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता होने पर अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है। भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026 के लिए सभी परीक्षा केन्द्र अपने-अपने केन्द्रों पर बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करेंगे। जिन उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा-स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि परीक्षा केंद्र में परिवर्तन हेतु उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**(ख) पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र :**

ख.1 भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा जन्म तिथि, श्रेणी [अर्थात् अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिक], शैक्षणिक योग्यता, आदि संबंधी विभिन्न दावों के लिए आयोग द्वारा यथापेक्षित सूचना और समर्थित दस्तावेज **समान आवेदन प्रपत्र** के साथ प्रस्तुत करने होंगे। यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण तथा **समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ)** के साथ अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

**ध्यान दें : उम्मीदवार यह भी ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र एक बार प्रस्तुत करने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कुछ भी जोड़ने/हटाने/बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदन में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उस आवेदन पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किया गया है।**

ख.2 आयोग, **भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026 के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद 15 (पंद्रह) दिन** के लिए एक विंडो प्रदान करेगा। व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार हेतु अर्हक सभी उम्मीदवारों को इस विंडो के दौरान (https://upsconline.nic.in) पर लॉग इन करना होगा तथा अपने विवरण/शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (स्टेटस) (क्या शामिल हो रहे हैं/शामिल हो चुके हैं) को अद्यतन करने के साथ अपेक्षित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण भी देना होगा, और अपने दावे के प्रमाण के रूप में संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऐसा न करने पर परीक्षा के आगे के चरणों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आयोग इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं करेगा।

**टिप्पणी-1: उपरोक्त पैरा ख.2 के अतिरिक्त, उम्मीदवारों को (जहां लागू हो) पत्राचार/स्थायी डाक पता, उच्च शैक्षणिक योग्यता, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि (यदि कोई हो), रोजगार विवरण/सेवा अनुभव, पहली/पिछली भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षाओं के आधार पर आवंटित सेवा का विवरण (यदि कोई हो), वैवाहिक स्थिति, पूर्व में पीडब्ल्यूबीडी अनुशंसा संबंधी विवरण, माता-पिता का विवरण, विवर्जन संबंधी सूचना, पहले की परीक्षा का विवरण, प्रयास सूचना, अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस अनुलग्नक (जहां लागू हो), सामाजिक-आर्थिक प्रश्नावली], जो भी लागू हो, को अद्यतन करना आवश्यक है और अपना ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र ~~(ओएएफ)~~ जमा करना होगा।**

**टिप्पणी-2: जिन उम्मीदवारों ने अपेक्षित दस्तावेज/जानकारी पहले अपलोड कर दी है और उनके पास अद्यतन करने/भरने के लिए कोई जानकारी नहीं है, उन्हें भी लॉगिन करना होगा और विवरण को सत्यापित करने के उपरांत अंतिम रूप से जमा करना होगा ताकि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए ई-समन पत्र/~~प्रवेश-पत्र~~ जेनरेट हो सके।**

**टिप्पणी-3: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन सूचना के संबंध में जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से देखें।**

**2.(क)** इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जानी है उनके नाम तथा इन सेवाओं के कनिष्ठ समय वेतनमान रिक्तियों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(i)** | **भारतीय आर्थिक सेवा** | **-** | **16** |
| **(ii)** | **भारतीय सांख्यिकी सेवा** | **-** | **28** |

**टिप्पणी.1: भारतीय आर्थिक सेवा के 16 रिक्तियों में से, एक (01) रिक्ति श्रेणी (घ) को छोड़कर श्रेणी (क) से (ग) में शामिल उन दिव्यांगताओं जो श्रेणी (ङ) के तहत आती है, से संबंधित बेंचमार्क रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि उक्त पद श्रेणी (क) के अंतर्गत पूर्ण अंधता तथा श्रेणी (ख) के अंतर्गत पूर्ण बधिरता के संयुक्त मामलों के लिए आरक्षित नहीं होगा।**

**टिप्पणी.2: भारतीय सांख्यिकी सेवा की 28 रिक्तियों में से, कुल दो (02) रिक्तियां पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। बधिर एवं उंचा सुनने वाले (डी/एचएच) के लिए आरक्षित रिक्तियों को अग्रेनीत किया गया है जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार बदला (इंटरचेज) किया जा सकता है तथा एक (01) नयी रिक्ति विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता/बहु दिव्यांगता (एसएलडी/एमडी) के लिए आरक्षित है और इस रिक्ति को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार बदला (इंटरचेज) नहीं जा सकता है।**

उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इसमें परिवर्तन हो सकता है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा नियत की गई रिक्तियों के संबंध में आरक्षण किया जाएगा।

**(ख)** कोई भी उम्मीदवार नियमानुसार पात्र होने पर केवल एक सेवा अर्थात भारतीय आर्थिक सेवा अथवा भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए प्रतियोगी हो सकता है।

किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों का पालन करता हो तथा उसके पास इस प्रकार की पात्रता का प्रमाण पत्र हो।

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा,2026 के लिए अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25, 2023-24 तथा 2022-23 की आय के आधार पर अ.पि.व.

(नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो 01.04.2025 (वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति के उपरांत) को/ के पश्चात् जारी हुआ हो परंतु भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026 के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद का न हो।

यदि कोई उम्मीदवार भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह अनारक्षित श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में परिवर्तन करने के लिए आयोग को लिखता है तो आयोग दवारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज .जा .को अ.जा., अ .पि.व.को अ. जा./ अ. ज. जा. या अ. जा./अ. ज.जा.को अ.पि.व., अनुसूचित अनुसूचित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत परीक्षा के प्रत्येक चरण पर सामान्य मेरिट के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन (उनके अनुरोध पर या उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयोग/सरकार द्वारा यथानिर्धारित) करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानदण्डों के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं करने के मामले में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) की किसी भी उप-श्रेणी के उम्मीदवार को उपनी दिव्यांगता की उप-श्रेणी को बदलने की अनुमति नहीं जाएगी।

यद्यपि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों को किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की तारीख के समय के बीच 3 महीने से अधिक अंतर न हो। ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तन करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के **बेंचमार्क दिव्यांग** होने के खेदपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसे मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह संशोधित दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, ताकि उसे बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके, बशर्ते कि संबंधित उम्मीदवार भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026 के नियम 19 के अनुसार भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए अन्यथा पात्र हो।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति/पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उम्मीदवारों के पास ऐसे लाभों के लिए नियमावली/नोटिस में यथानिर्दिष्ट किए गए अनुसार, अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में सभी अपेक्षित **वैध** प्रमाण-पत्र अंतिम तारीख तक मौजूद होने चाहिएं।

**भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026** का कोई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लाभ प्राप्त करने का पात्र तभी माना जाएगा यदि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदण्डों को पूरा कर रहा हो और उसके पास वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु अपेक्षित आय के आधार पर आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र मौजूद हो तथा यह प्रमाण-पत्र 01.04.2025 को/के पश्चात (वित्तीय वर्ष 2024-25 के समाप्त होने के उपरांत) जारी हुआ हो परंतु **भारतीय सांख्यिकी सेवा/ भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2026** हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख के बाद जारी नही हुआ हो।

## 3. <u>प्रतिभा सेतु पोर्टल (पूर्ववर्ती नाम - सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना) :-</u>

रोजगार के अवसरों तक बेरोजगार व्यक्तियों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित नीति के अनुसार, परीक्षा के अंतिम चरण (साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण) में उपस्थित हुए, लेकिन अनुशंसित नहीं हुए उम्मीदवारों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर विशिष्ट पोर्टल पर किसी भी पंजीकृत निजी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक और भारत सरकार के स्वायत्त संगठनों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि रोजगार प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान की जा सके। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, संपर्क नंबर, उनके पर्सेंटाइल (पूर्ण या प्रतिशत अंक नहीं) सहित उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त भी इस विशिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध डेटा केवल इन पंजीकृत संगठनों के लिए रोजगार के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के उद्देश्य प्रयोजनार्थ ही होगा। ये सूचियां अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद उपलब्ध कराई जाएंगी। यह नोट कर लिया जाए कि आंशिक प्रकटन का कोई विकल्प नहीं है और एक बार विकल्प दिए जाने के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

उम्मीदवारों को, **परीक्षा संबंधी विशिष्ट मॉड्यूल** को भरते समय इस संबंध में अपनी सहमति देनी होगी। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंक संबंधी विवरण का प्रकटन नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा परीक्षाओं के गैर-अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि ऐसे उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, **इन पंजीकृत संगठनों** द्वारा किस विधि से तथा किस रूप में किया जाता है।

## 4. पात्रता की शर्तें:

**(i) राष्ट्रीयता :** उम्मीदवार को निम्नलिखित होना चाहिए

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया तथा वियतनाम से प्रवजन करके आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए।

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

**(ii) आयु :**

(क) उम्मीदवार की आयु 01 अगस्त, **2026** को 21 वर्ष पूरी हो गई हो, किन्तु 30 वर्ष न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, **1996** से पहले और 01 अगस्त, **2005** के बाद नहीं हुआ हो।

(ख) ऊपर निर्धारित अधिकतम आयु में निम्नलिखित स्थितियों में छूट दी जा सकती है :--

(i) यदि उम्मीदवार, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो अधिक से अधिक पांच वर्ष:

(ii) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के पात्र हो:

(iii) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष तक जो किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में अथवा अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान दिव्यांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों;

(iv) कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित जिन भूतपूर्व सैनिकों ने 01 अगस्त, 2026 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (i) कदाचार या दिव्यांगता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं, (इनमें वे भी सम्मिलित हैं, जिनका कार्यकाल 01 अगस्त, 2026 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है), या (ii) सैनिक सेवा में हुई शारीरिक दिव्यांगता या (iii) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामलों में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक।

(v) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जिन्होंने 01 अगस्त, 2026 को सैनिक सेवा के पांच वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल पांच वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख के तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, के मामलों में अधिकतम पांच वर्ष।

(vi) (क) दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि, (ख) बधिर और ऊंचा सुनने वाले (ग) लोकोमोटर दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल है (घ) आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रोग (ङ) क से घ के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है, के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक।

**टिप्पणी I :** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार जो उपर्युक्त पैरा 4(II)(ख) के किन्हीं अन्य खंडों यथा भूतपूर्व सैनिकों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

**टिप्पणी II** :भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और बाद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

**टिप्पणी III:** पैरा 4(II)(ख)(iv) तथा (v) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को आयु संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबटेंट अथवा नॉन-कंबटेंट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।

**टिप्पणी IV** : उपरोक्त पैरा 4(II)(b)(vi) के अन्तर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर भी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

**टिप्पणी V:** प्रत्येक सेवा हेतु प्रकार्यात्मक वर्गीकरण (एफसी) और शारीरिक अपेक्षाओं (पीआर) का ब्यौरा इस नोटिस में दिया गया है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और 34 के प्रावधानों

के अनुसार संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) द्वारा निर्दिष्ट तथा निर्धारित किए गए हैं। बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी के अंतर्गत केवल उसी/ उन्हीं दिव्यांगता(ओं) की श्रेणी (श्रेणियों) वाले उम्मीदवार परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे जिनका उल्लेख किया गया है। इसलिए, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हेतु आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लें।

**उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।**

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या सैकेंडरी स्कूल लीविंग प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज हो।

ये प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा होने के बाद ही जमा करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे कि जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उद्धरण तथा सदृश प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेश के इस भाग में आए "मैट्रिकुलेशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा" प्रमाण-पत्र वाक्यांश के अन्तर्गत उपरोक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी-1:** उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही स्वीकार किया जाएगा।

**टिप्पणी-2:** उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण और समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ़) में प्रस्तुत कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें (या आयोग की अन्य किसी परीक्षा में) किसी भी स्थिति में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**(III) <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं:</u>**

(क) भारतीय आर्थिक सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शिक्षा संस्थाओं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र/अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र/अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शिक्षा संस्थाओं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में एक विषय के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए या सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

**टिप्पणी 1 :** ऐसे उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुके है जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने के पात्र बनते हैं लेकिन जिसके परीक्षाफल की सूचना उन्हें नहीं मिली है, तथा ऐसे उम्मीदवारों को ऐसी किसी योग्यता परीक्षा में शामिल होने का इरादा रखते हैं वह भी परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र हैं। । तथापि, ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक घोषित किया गया है, उन्हें भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, **2026** के नियम **4.1** में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपेक्षित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के केवल वैध प्रमाण जैसे डिग्री प्रमाण-पत्र/अंतिम अंक पत्रक/अनंतिम डिग्री प्रमाण-पत्र आदि जो सामान्यतः विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परिणामों की औपचारिक घोषणा के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार को जारी किए जाते हैं, स्वीकार किए जाएंगे।

**टिप्पणी 2 :** विशेष परिस्थितियों में आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

**टिप्पणी 3:-** जो उम्मीदवार अन्यथा रूप से योग्य है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री है, वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

**टिप्पणी 4:-** भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के लिए, एक या दो सेमेस्टर में बहु-विषयक पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में सांख्यिकी के अध्ययन को परीक्षा हेतु निर्धारित मौजूदा शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता नहीं माना जाना चाहिए। सांख्यिकी का अध्ययन बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम के सभी वर्षों में होना चाहिए।

**(IV) <u>शारीरिक मानक :</u>**

भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को 11 फरवरी 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा नियमावली में भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026 के **परिशिष्ट-III** में दिए गए विनियमों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

**5 . <u>शुल्क:</u>**

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026 में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों (अजा/अजजा/ महिला/बेचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) को 200/- रु. (केवल दो सौ रुपये) का शुल्क किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई पेमेंट का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।

**टिप्पणी -1:** उम्मीदवार यह ध्यान दें कि परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल उपर्युक्त निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने पर न तो वह वैध माना जाएगा और न ही वह स्वीकार्य होगा।ऐसे आवेदन अस्वीकृत कर दिये जाएँगे जिनके साथ निर्धारित शुल्क जमा न किया गया हो अथवा शुल्क भुगतान निर्दिष्ट माध्यम से न किया गया हो(यदि शुल्क माफी का दावा न किया गया हो)।

**टिप्पणी-2:** एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इस शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

**सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों /आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।**

बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा फिटनेस (बेंचमार्क दिव्यांग की श्रेणी के उम्मीवार को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। शुल्क में छूट का दावा करने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों श्रेणी के उम्मीद्वारों को अपने **पंजीकरण और** ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के साथ अपने बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

**नोट :** शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीवारों को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद), सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीद्वारों को आबंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

**टिप्पणी-I** : जिन आवेदन-पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

**टिप्पणी-II**: किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

**टिप्पणी-III** : यदि कोई उम्मीदवार भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2025 में बैठा हो और अब इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करना चाहता हो, तो उसे परीक्षा परिणाम या नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना ही अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए।

6. आवेदन कैसे करें:

(ख) उम्मीदवारों को वेबसाइट **https://upsconline.nic.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉडयूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को तथा जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित विभिन्न दावों के लिए आयोग द्वारा मांगी गई अपेक्षित जानकारी और सहयोगी दस्तावेजों के साथ यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथा मॉड्यूल अर्थात् परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क एवं केन्द्र सहित) जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

**टिप्पणी 1:-** आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

**टिप्पणी 2:** समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव-फोटो कैप्चर:

आवेदकों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय अपने फोटोग्राफ अपलोड करना और लाइव-फोटोग्राफ कैप्चर करना अपेक्षित है। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटोग्राफ और कैप्चर की गई लाइव-फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर उपलब्ध "अनुदेश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न > फॉर्म भरने के अनुदेश > फोटो और हस्ताक्षर" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हों।

**टिप्पणी 3:** हस्ताक्षर अपलोड करना

आवेदकों को सादे सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से तीन बार (एक के नीचे एक) हस्ताक्षर करने होंगे और समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर

स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर "अनुदेश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी जाती है।"

**टिप्पणी 4:** उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसके किसी भी क्षेत्र (क्षेत्रों) में कोई सुधार/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं है।

(च)(ख) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या निजी रोजगार में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या कार्य प्रभारित कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं हैं, उन्हें अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत व्यक्तियों को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित करना चाहिए कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

**टिप्पणी-1:** ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा उसके ई-प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देता है, तो ऐसे उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

**टिप्पणी-2:** अपूर्ण या दोषपूर्ण आवेदनों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस अस्वीकृति के संबंध में किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभिवेदन या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को आयोग को अपने आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है।

**परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग द्वारा परीक्षा के सभी चरणों, जिसके लिए उन्हें प्रवेश दिया गया है जैसे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण में उनका प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन**

**करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**

यदि उनके द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा 11 फरवरी 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026 की नियमावली के नियम 12, जो कि नीचे उद्धृत हैं, के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

**(1)** जो उम्मीदवार निम्नलिखित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात्:

(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) प्रतिरूपधारण, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य से छेड-छाड किया गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना, अथवा

(च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना; अथवा

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना; अथवा

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; अथवा

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत बातें लिखना; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाडना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण (चाहे बंद या चालू) प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए ई-प्रवेश पत्र के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में निर्दिष्ट सभी अथवा किसी कार्य, जैसा भी मामला हो, को करने या करने के लिए उकसाने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर समय-समय पर यथा-संशोधित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत यथोचित कानूनी कार्रवाई किए जाने के अतिरिक्त उसे आयोग द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि हेतु:

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वर्जित कर दिया जाएगा;

और यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु यह कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(ii) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित रूप में ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए जैसा वह प्रस्तुत करना चाहे; और

(ii) उम्मीदवार द्वारा इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो पर विचार न किया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध समय-समय

पर यथा-संशोधित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत उपर्युक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

**टिप्पणी:** "यदि कोई उम्मीदवार अनुचित साधन रखते या उसका प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो ऐसा कृत्य परीक्षा से जुडे पदाधिकारियों के संज्ञान में आते ही, उसे इस परीक्षा में आगे शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आयोग के परामर्श से उम्मीदवार के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के बाद के पेपरों में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी"

**7. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:**

(i) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र दिनांक **03 मार्च, 2026** को सायं 6:00 बजे तक भरे जा सकते हैं, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट–II क में प्रदान किए गए है |

(ii) **आवेदन वापस लेना: उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

**(7) आयोग के साथ पत्र-व्यवहार:**

आयोग निम्नलिखित मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा :

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा की तिथि से सात (7) दिन पहले तक स्क्राइब बदलने के विकल्प का चयन किया है, उन्हें परीक्षा की तिथि से 03 (तीन) दिन पहले ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **[https://upsconline.nic.in]** पर उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। डाक या ई-मेल द्वारा कोई ई-प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस तक अपना ई-प्रवेश पत्र अथवा अपनी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष पर **हेल्पडेस्क सं. 011-24041001** के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि परीक्षा प्रारंभ होने से तीन दिन पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वें ई-प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने पर इसकी सावधानीपूर्वक

जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि, यदि कोई हो, होने पर संघ लोक सेवा आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम होगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

**इस तथ्य कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है का यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या किसी उम्मीदवार द्वारा उसके भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण, समान आवेदन प्रपत्र और परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों को आयोग द्वारा सही और ठीक मान लिया गया है। उम्मीदवार ध्यान रखें कि उम्मीदवार के भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही आयोग उसकी पात्रता की शर्तों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन का कार्य करता है। आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिये जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।**

उम्मीदवार उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप से कहीं-कहीं नाम लिखे जा सकते हैं।

(ii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो, क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग कर सकता है।

(iii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आवेदन में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्राचार को, यदि आवश्यक हो, तो पुनर्निर्देशित किया जाए। पते में परिवर्तन की सूचना यथाशीघ्र आयोग को दी जानी चाहिए। यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों को ध्यान में रखने का हर संभव प्रयास करता है, फिर भी वह इस मामले में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा।

(iv) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उन्हें किसी अन्य उम्मीदवार के लिए जारी किए गए ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**महत्वपूर्ण :** आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए ।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन)
3. आवेदन संख्या

4. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो)
5. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा मोटे अक्षरों में)
6. डाक का पूरा पता, जैसाकि आवेदन प्रपत्र में दिया गया है
7. मान्य एवं सक्रिय पंजीकृत ई-मेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल संख्या

**ध्यान दें-I :** जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए।

**विशेष ध्यान दें-II:** यदि किसी उम्मीदवार से परीक्षा के बाद कोई पत्र/संप्रेषण, प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं है तो इस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

**विशेष ध्यान दें-III:** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भावी संदर्भ के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अथवा सॉफ्ट कॉपी रख लें।

9. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का लाभ उठाने के मामले में पात्रता की शर्तें वही होंगी, जो "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के अंतर्गत निर्धारित हैं। बहु दिव्यांगता वाले उम्मीदवार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के अंतर्गत केवल श्रेणी (ड.)- बहु दिव्यांगता के तहत आरक्षण के पात्र होंगे। ऐसे उम्मीदवार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के तहत श्रेणी (क) से (घ) के अंतर्गत 40% तथा इससे अधिक दिव्यांगता होने के आधार पर, किसी अन्य दिव्यांगता श्रेणी के तहत आरक्षण के पात्र नहीं होंगे।

किंतु यह भी कि बेंचमार्क रूप से दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को चिह्नित सेवा/पद की अपेक्षाओं के संगत, 'बेंचमार्क दिव्यांगताओं की उपयुक्त श्रेणी के 'कार्यात्मक वर्गीकरण और शारीरिक अपेक्षाओं (सक्षमता/अक्षमता) के संबंध में निम्नानुसार विशिष्ट पात्रता मानदण्ड भी पूरे करने होंगे।

**<u>भारतीय सांख्यिकी सेवा :-</u>**

| **क्रम सं.** | **कार्यात्मक वर्गीकरण** | **शारीरिक अपेक्षाएं** |
|---|---|---|
| क | दृष्टिहीनता (बी) | एच,एसपी,एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू (ब्रेल/सॉफ्टवेयर में) |
| | अल्प दृष्टि (एलवी) | एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई(उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से) |
| ख | बधिर(डी) | एसपी,एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, |

| | | |
|---|---|---|
| | | एसई |
| | ऊंचा सुनना (एचएच) | एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से), एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई |
| ग | ओए(एक हाथ प्रभावित), ओएल(एक पांव प्रभावित), ओएलए(एक हाथ तथा एक पांव प्रभावित), बीएल(दोनों पांव प्रभावित), डीडब्ल्यू(बौनापन), एलसी(कुष्ठ उपचारित), एएवी(तेजाबी हमले से पीड़ित) तथा सीपी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात) | एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई<br><br>[मोबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन उपयुक्त सहायक उपकरणों और अन्य उपस्करों के साथ किया जाए।] |
| घ | एसएलडी(डिस्कैलकुलिया को छोड़कर) | एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एन |
| ड. | • बहु दिव्यांगता (एमडी) में निम्नलिखित शामिल है:- | |
| | • लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) अल्प दृष्टि या दृष्टिहीनता सहित अर्थात् एलवी/बी सहित ओए, एलवी/बी सहित ओएल, एलवी/बी सहित ओएलए, एलवी/बी सहित बीएल, एलवी/बी सहित डीडब्ल्यू, एलवी/बी सहित एएवी, एलवी/बी सहित एलसी | एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू(दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/सॉफ्टवेयर में), एसई(केवल एलवी के लिए) |
| | • लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) बधिरता(डी) या ऊंचा सुनना (एचएच) सहित अर्थात् डी/एचएच सहित ओए, डी/एचएच सहित ओएल, डी/एचएच सहित ओएलए, डी/एचएच सहित बीएल, डी/एचएच सहित डीडब्ल्यू, डी/एचएच सहित एएवी, डी/एचएच सहित एलसी | एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच(केवल एचएच के लिए) |
| | • एचएच सहित एलवी | एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) |

| | | |
|---|---|---|
| | | एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) |
| | • लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) एसएलडी सहित अर्थात् एसएलडी सहित ओए, एसएलडी सहित ओएल, एसएलडी सहित ओएएल, एसएलडी सहित बीएल, एसएलडी सहित एएवी, एसएलडी सहित डीडब्ल्यू | एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एन [मोबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन उपयुक्त सहायक उपकरणों और अन्य उपस्करों के साथ किया जाए।] |
| | • एलवी सहित एसएलडी | एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई(उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित), एन |
| | • एसएलडी सहित एचएच | एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एन |
| | • एचएच सहित लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) | एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू(दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/सॉफ्टवेयर में), एसई(केवल एलवी के लिए) |

**नोट :** एच- सुनना, एसपी- बोलना, एस- बैठना, एसटी- खड़े रहना, डब्ल्यू- चलना, एमएफ- उंगलियों की मदद से कार्य करना, आरडब्ल्यू- पढ़ना व लिखना, एसई- देखना, ओए- एक हाथ प्रभावित, ओएल- एक पांव प्रभावित, ओएलए- एक पांव एक हाथ प्रभावित, एन- संख्यात्मक परिकलन क्षमता, सी- संचार तथा बीएल- दोनों पांव प्रभावित।

**<u>भारतीय आर्थिक सेवा :-</u>**

| किस श्रेणी के लिए चिह्नित | कार्यात्मक वर्गीकरण | शारीरिक अपेक्षाएं |
|---|---|---|
| (क) दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि | दृष्टिहीनता (बी) | एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एच, एसपी, आरडब्ल्यू (ब्रेल/सॉफ्टवेयर में) |
| | अल्प दृष्टि (एलवी) | एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एच, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई (उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से) |

| | | |
|---|---|---|
| (ख) बधिर और ऊंचा सुनना | बधिर(डी) | एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई |
| | ऊंचा सुनना (एचएच) | एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई, एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से) |
| (ग) लोकोमोटर दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन और तेजाबी हमले से पीड़ित शामिल हैं | ओए(एक हाथ प्रभावित), ओएल(एक पांव प्रभावित), ओएलएए(एक हाथ तथा एक पांव प्रभावित), बीएल(दोनों पांव प्रभावित), सीपी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात), डीडब्ल्यू (बौनापन), एलसी (कुष्ठ उपचारित), एएवी (तेजाबी हमले से पीड़ित), तंत्रिका/भुजा या पांव संबंधी रोग के बिना एसडी (रीढ संबंधी विकृति) तथा एसआई (रीढ की चोट) | एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई, एच<br>[मोबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन उपयुक्त सहायक उपकरणों और अन्य साधनों के साथ किया जाए।] |
| (ड.) खंड (क) से (ग) श्रेणी के तहत बहु दिव्यांगता (एमडी) वाले उम्मीदवारों के लिए, खंड (घ) को छोड़कर, इस शर्त के अध्यधीन कि पद को श्रेणी 'क' के अंतर्गत पूर्ण दृष्टिहीनता तथा श्रेणी 'ख' के अंतर्गत पूर्ण बधिरता के जोड़ के लिए चिन्हित नहीं किया | लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) अल्प दृष्टि(एलवी) या दृष्टिहीनता (बी) सहित अर्थात् एलवी/बी सहित ओए, एलवी/बी सहित ओएल, एलवी/बी सहित ओएलएए, एलवी/बी सहित बीएल, एलवी/बी सहित डीडब्ल्यू, एलवी/बी सहित एएवी, एलवी/बी सहित एलसी | एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू (दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/सॉफ्टवेयर में), एसई(केवल एलवी के लिए) |
| | लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) बधिरता (डी) या ऊंचा सुनना (एचएच) सहित अर्थात् डी/एचएच सहित ओए, डी/एचएच सहित ओएल, डी/एचएच सहित ओएलएए, | एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच (केवल एचएच के लिए) |

| | | |
|---|---|---|
| जाएगा। | डी/एचएच सहित बीएल, डी/एचएच सहित डीडब्ल्यू, डी/एचएच सहित एएवी, डी/एचएच सहित एलसी | |
| | एचएच सहित एलवी | एच (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई (उपयुक्त सहायक उपकरणों सहित) |
| | एचएच सहित लोकोमोटर दिव्यांगता (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़कर) | एच, एसपी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्ल्यू (दृष्टिहीनता हेतु ब्रेल/सॉफ्टवेयर में), एसई(केवल एलवी के लिए) |

नोट : एमएफ- उंगलियों की मदद से कार्य करना, एस- बैठना, एसटी- खड़े रहना, डब्ल्यू- चलना, सी- संचार, एच- सुनना, एसपी- बोलना, आरडब्ल्यू- पढ़ना व लिखना, एसई- देखना, ओए- एक हाथ प्रभावित, ओएल- एक पांव प्रभावित, ओएलए- एक पांव एक हाथ प्रभावित, बीएल- दोनों पांव प्रभावित, तंत्रिका/भुजा या पांव संबंधी रोग के बिना एसडी (रीढ़ संबंधी विकृति) तथा एसआई (रीढ़ की चोट) ।

10. परीक्षा की योजना, विषयों का स्तर तथा पाठ्यक्रम आदि का विवरण इस नोटिस के परिशिष्ट-। में देखा जा सकता है।

**(जितेंद्र कुमार मण्डल)**
**अपर सचिव (परीक्षा)**
**संघ लोक सेवा आयोग**

## परिशिष्ट- I
## परीक्षा की योजना
### खण्ड– I

यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी:-

भाग- I : निम्नांकित विषयों में लिखित परीक्षा जिसके पूर्णांक 1000 होंगे।

भाग-II : आयोग द्वारा जिन उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, उनके लिए *मौखिक परीक्षा* जिसके पूर्णांक 200 होंगे।

**<u>भाग-I</u>**

भाग-I के अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, प्रत्येक विषय/पेपर के लिए निर्धारित पूर्णांक और समय का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) भारतीय आर्थिक सेवा

| क्र. सं. | विषय | अधिकतम अंक | दिया गया समय |
|---|---|---|---|
| 1. | सामान्य अंग्रेजी | 100 | 3 घंटे |
| 2. | सामान्य अध्ययन | 100 | 3 घंटे |
| 3. | सामान्य अर्थशास्त्र-I | 200 | 3 घंटे |
| 4. | सामान्य अर्थशास्त्र-II | 200 | 3 घंटे |
| 5. | सामान्य अर्थशास्त्र-III | 200 | 3 घंटे |
| 6. | भारतीय अर्थशास्त्र | 200 | 3 घंटे |

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा

| क्र. सं. | विषय | अधिकतम अंक | दिया गया समय |
|---|---|---|---|
| 1. | सामान्य अंग्रेजी | 100 | 3 घंटे |
| 2. | सामान्य अध्ययन | 100 | 3 घंटे |
| 3. | सांख्यिकी-I (वस्तुनिष्ठ) | 200 | 2 घंटे |
| 4. | सांख्यिकी-II (वस्तुनिष्ठ) | 200 | 2 घंटे |
| 5. | सांख्यिकी-III (विवरणात्मक) | 200 | 3 घंटे |
| 6. | सांख्यिकी-IV (विवरणात्मक) | 200 | 3 घंटे |

**नोट-1 :** सांख्यिकी I और II में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे (प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 80 प्रश्न होंगे जिनके लिए अधिकतम अंक 200 हैं) जिन्हें 120 मिनटों में किया जाना है।

**नोट-2:** सांख्यिकी प्रश्न-पत्र III और IV विवरणात्मक प्रकार के होंगे जिनमें लघु उत्तर/लघु प्रश्न (50%) तथा लंबे उत्तर और बोधन क्षमता के प्रश्न (50%) होंगे। प्रत्येक खंड में से एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना अनिवार्य है। सांख्यिकी-IV पेपर में **सात** खंड होंगे। उम्मीदवारों को उनमें से किन्हीं **दो** खंडों को चुनना होगा। सभी खंडों के समान अंक होंगे।

**नोट-3 :** सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के पेपर जो भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, दोनों के लिए समान हैं, विवरणात्मक प्रकार के होंगे।

**नोट-4 :** भारतीय आर्थिक सेवा के सभी अन्य पेपर विवरणात्मक प्रकार के होंगे।

**नोट-5 :** परीक्षा के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यक्रम का विवरण नीचे खंड-II में दिया गए है।

**2.** सांख्यिकी पेपर-I तथा सांख्यिकी पेपर-II जोकि वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर है; को छोड़कर भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा और भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा में सभी विषयों के प्रश्न-प्रत्र परंपरागत (निबंधात्मक) प्रकार के होंगे।

**2.1 <u>'अंकों का पूर्णांकन' तथा 'टाई-ब्रेकिंग सिद्धांत':</u>**

अंकों के पूर्णांकन से संबंधित प्रावधान, जहां भी लागू हों तथा अंक संबंधी टाई के मामलों के समाधान हेतु सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :-

(क) **<u>अंकों का पूर्णांकन :</u>**

परीक्षा के सभी चरण (चरणों) में, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को मानक पूर्णांकन सिद्धांत लागू करते हुए, जहाँ भी लागू हो, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, 'टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों' को लागू करते समय, टाई के सभी मामलों को हल करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

**<u>(ख) टाई-ब्रेकिंग सिद्धांत:</u>**

**(क) <u>भारतीय आर्थिक सेवा:</u>**

(i) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा के विषय विशेष के पेपरों ("सामान्य आर्थिक पेपर-I, II, III एवं भारतीय अर्थशास्त्र") तथा व्यक्तित्व परीक्षण के अंकों को **मिलाकर** अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो लिखित परीक्षा के विषय विशेष के पेपरों ("सामान्य आर्थिक पेपर-I, II, III एवं भारतीय अर्थशास्त्र" को मिलाकर) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(iii) यदि उपरोक्त (i) तथा (ii) में भी अंक समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; तथा

(iv) जिन मामलों में उपर्युक्त टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करने के पश्चात भी टाई की स्थिति बनी रहती है तब उनका समाधान आयोग के विवकानुसार किया जाएगा।

**(ख) <u>भारतीय सांख्यिकी सेवा:</u>**

(i) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा के विषय विशेष के पेपरों ("सांख्यिकी पेपर-I, II, III एवं IV") तथा व्यक्तित्व परीक्षण के अंकों को **मिलाकर** अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो लिखित परीक्षा के विषय विशेष के पेपरों ("सांख्यिकी पेपर-I, II, III एवं IV" को मिलाकर) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(iii) यदि उपरोक्त (i) तथा (ii) में भी अंक समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; तथा

(iv) जिन मामलों में उपर्युक्त टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करने के पश्चात भी टाई की स्थिति बनी रहती है तब उनका समाधान आयोग के विवकानुसार किया जाएगा।

**3. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर, अंग्रेजी में लिखने होंगे। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।**

4.1 उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार, परिशिष्ट-V पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, परिशिष्ट VII में दिए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है ।

**4.2** अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार को है। स्क्राइब का विवरण अर्थात अपना या आयोग का और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय परिशिष्ट-VI (40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले

उम्मीदवारों के लिए) तथा परिशिष्ट- VIII (उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% से कम है और जिनकी लेखन क्षमता प्रभावित है) के प्रपत्र में मांगा जाएगा ।

**4.3** स्वयं के अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

**4.4** दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित – बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे में बीस मिनट प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार, परिशिष्ट–V पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन /चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर यह सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, परिशिष्ट VII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है, प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे।

**4.5** पात्र उम्मीदवारों द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें स्क्राइब की सुविधा तथा/या प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

**टिप्पणी-1 :** किसी लेखन सहायक (स्क्राइब) की पात्रता की शर्तें और परीक्षा हाल में उसका आचरण तथा वह भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के उत्तर लिखने में पात्र उम्मीदवार (उपरोक्त यथापरिभाषित) की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता/सकती है, इन सब बातों का नियमन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी या इन में से किसी एक अनुदेश का उल्लंघन होने पर आयोग उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के अतिरिक्त लेखन सहायक के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

**टिप्पणी-2 :** दृष्टि बाधा का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

| **बेहतर आंख बेस्ट करेक्टेड** | **खराब आंख बेस्ट करेक्टेड** | **दिव्यांगता प्रतिशत** | **दिव्यांगता श्रेणी** |
|---|---|---|---|
| 6/6 से 6/18 | 6/6 से 6/18 | 0% | 0 |
| | 6/24 से 6/60 | 10% | 0 |
| | 6/60 से 3/60 से कम | 20% | I |
| | 3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं | 30% | II (एक आँख वाला व्यक्ति) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6/24 से 6/60<br>अथवा<br>फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर 20 डिग्री तक दृश्य क्षेत्र 40 से कम या मैक्युला सहित होमिनायापिआ | 6/24 से 6/60 | 40% | III क (अल्प दृष्टि) |
| | 6/60 से 3/60 से कम | 50% | III ख (अल्प दृष्टि) |
| | 3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं | 60% | III ग (अल्प दृष्टि) |
| 6/60 से 3/60 से कम<br>अथवा<br>फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 20 से कम 10 डिग्री तक | 6/60 से 3/60 से कम | 70% | III घ (अल्प दृष्टि) |
| | 3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं | 80% | III ड़ (अल्प दृष्टि) |
| 3/60 से 1/60 तक से कम<br>अथवा<br>फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम | 3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं | 90% | IV क (दृष्टिहीनता) |
| केवल एचएमसीएफ<br>केवल प्रकाश अवबोधन<br>कोई प्रकाश अवबोधन नहीं | केवल एचएमसीएफ<br>केवल प्रकाश अवबोधन<br>कोई प्रकाश अवबोधन नहीं | 100% | IV ख (दृष्टिहीनता) |

**टिप्पणी-3:** दृष्टिहीन/अल्प दृष्टि वाले उम्मीदवारों को मिलने वाली छूट मायोपिया से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नही होगी ।

5. आयोग अपने विवेकाधिकार से परीक्षा के लिए एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक न हो तो उसको मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. कम-से-कम शब्दों में सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही ढंग से की गई अभिव्यक्ति को श्रेय दिया जाएगा।

9. प्रश्न-पत्रों में यथा आवश्यक एस. आई. इकाइयों का प्रयोग किया जाए।

10. उम्मीदवारों को परीक्षा में विवरणात्मक प्रकार के पेपरों में वैज्ञानिक (गैर-प्रोग्रामेबल प्रकार) कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति होगी। हालांकि, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी और ऐसे कैलकुलेटर का प्रयोग उम्मीदवारों द्वारा अनुचित साधनों का सहारा लेने के समान होगा। परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर की लोनिंग या इंटरचेंज की अनुमति नहीं है।

11. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

## भाग-II

***मौखिक परीक्षा*** - उम्मीदवार का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का पूरा जीवनवृत्त होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य उक्त सेवा के लिए उम्मीदवार की

उपयुक्तता जांचना होगा। साक्षात्कार उम्मीदवार के सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान की परीक्षा तथा क्षमता को जांचने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक के रूप में होगा। उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझबूझ के साथ रुचि न लें, अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लें, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रुचि लें जिसके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा होती है।

साक्षात्कार महज जिरह की प्रकिया नहीं है अपितु, स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जिसका उद्देश्य, उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की बौद्धिक जिज्ञासाओं, विश्लेषणात्मक शक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा।

## खण्ड-II

## परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न-प्रत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट से अपेक्षित स्तर के होंगे।

अन्य विषयों के प्रश्न-प्रत्र संबंधित विषयों में किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री परीक्षा के समकक्ष होंगे। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिद्धांत को तथ्य के आधार पर स्पष्ट करें और सिद्धांत की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें। अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय समस्याओं से विशेष रूप से परिचित हों।

### सामान्य अंग्रेजी (भा.आ.से./भा.सा.से., दोनों के लिए समान)

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में एक निबन्ध लिखना होगा। अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जिससे उनके अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तथा शब्दों के कार्य साधक प्रयोग की जांच हो सके। संक्षेपण अथवा सारलेखन के लिए सामान्य: गद्यांश दिए जाएंगे।

### सामान्य अध्ययन (भा.आ.से./भा.सा.से., दोनों के लिए समान)

किसी शिक्षित व्यक्ति जिसने किसी वैज्ञानिक विषय में विषय अध्ययन नहीं किया है, से अपेक्षित सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं तथा दैनिक अनुभव का वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन सम्मिलित है। इस प्रश्न-पत्र में देश की राजनितिक प्रणाली सहित भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान, भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए।

### सामान्य अर्थशास्त्र–I (केवल भा.आ.से. हेतु)

**भाग क:**

1. **उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत** : मूलाधार उपयोगिता विश्लेषण: सीमांत उपयोगिता और मांग, उपभोक्ता अधिशेष, अनधिमान वक्र, विश्लेषण और उपयोगिता कार्य, मूल्य आय और स्थापना प्रभाव, स्लूटॅस्की प्रमेय और मांग वक्र ह्रास, प्रकटित अधिमान उपागम, द्वयात्मक और अप्रत्यक्ष उपयोगिता कार्य और

व्यय फलन, जोखिम और अनिश्चयता के अंतर्गता विकल्प, पूर्ण सूचना के सरल क्रियाकलाप, नैश संतुलन की अवधारणा।

2. **उत्पादन के सिद्धांत** : उत्पादन के कारक और उत्पादन फलन, उत्पादन फलन के रूप; कॉब–डगलस, स्थिर लोच स्थानापन्नता और नियत गुणांक प्रारूप, ट्रांसलोग उत्पादन फलन, प्रतिफल के नियम, प्रतिफल के अनमाप, उत्पादन के प्रतिफल संबंधी कारक, द्वयात्मक तथा लागत फलन, फर्मों की उत्पादक क्षमता का माप, तकनीकी एवं निर्धारण क्षमता, आंशिक संतुलन बनाम सामान्य संतुलन उपागम-फर्म तथा उद्योग का संतुलन।

3. **मूल्य के सिद्धांत** : विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के अंतर्गत कीमत निर्धारण, सार्वजनिक क्षेत्र कीमत निर्धारण, सीमांत, लागत कीमत निर्धारण, चरम भार कीमत निर्धारण प्रति आर्थिक सहायता मुक्त कीमत निर्धारण तथा औसत लागत कीमत निर्धारण, मार्शल तथा वालरसन की स्थिरता विश्लेषण, अपूर्ण सूचना तथा नैतिक संकटसमस्याओं सहित कीमत निर्धारण।

4. **वितरण के सिद्धांत** : नव क्लासिकी वितरण के सिद्धांत : कारकों की कीमत निर्धारण के लिए सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, कारकों का योगदान तथा उनके समूहन की समस्या-आयलर प्रमेय, अपूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत कारकों का मूल्य निर्धारण, एकाधिकार और द्विपक्षीय एकाधिकार, रिकार्डों, मार्क्स, काल्डोर, कैलेकी के समष्टि वितरण सिद्धांत।

5. **कल्याण मूलक अर्थशास्त्र** : अंतरवैयक्तिक तुलना तथा समूहन की समस्या, सार्वजनिक वस्तुएं तथा निकासी, सामाजिक तथा वैयक्तिक कल्याण के बीच अपसरण, प्रतिपूर्ति सिद्धांत, पैरेटो का इष्टतमवाद, सामाजिक वरण तथा अन्य अभिनव स्कूल, कोसे और सेन सहित।

**भाग ख: अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां**

1. **अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां** : विभेदीकरण और एकीकरण तथा अर्थशास्त्र में उनका अनुप्रयोग, इष्टतमीकरण तकनीक, सेट्स, आव्यूह (मैट्रिसेज) तथा अर्थशास्त्र में उनका अनुप्रयोग, रैखिक बीजगणित और अर्थशास्त्र में रैखिक प्रोग्रामन और लिओनटिफ का निविष्ट-उत्पादन प्रदर्श (मॉडल)।

2. **सांख्यिकीय एवं अर्थमितीय विधियां** : केन्द्रीय प्रवृति और परिक्षेपण का मापन, सहसंबंध और समाश्रयण, काल श्रेणी सूचकांक, विभिन्न रैखिक एवं अरैखिक फलनों पर आधारित वक्रोरेखन न्यूनतम विधियां और अन्य बहुचर विश्लेषण (केवल अवधारणा तथा परिणामों की व्यवस्था), प्रसरण का विश्लेषण, कारक विश्लेषण, मुख्य घटक विश्लेषण, विभेदी विश्लेषण, आय वितरण; पैरेटो का वितरण नियम, लघुगणक प्रसामान्य वितरण, आय असमानता का मापन, लौरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक, एकचर और बहुचर परावर्तन विश्लेषण, अपारंपरिक, स्वत: सह-संबद्ध और मल्टी कोलनियरिटी की समस्याएं और समाधान।

**<u>सामान्य अर्थशास्त्र–II (केवल भा.आ.से. हेतु)</u>**

1. **आर्थिक विचारधारा** : व्यापारवादी भू-अर्थशास्त्री, क्लासिकी, मार्क्सवादी, नव क्लासिकी, केंस और मौद्रिकवादी स्कूल विचारधारा।

2. **राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक लेखाकरण की अवधारणा** : राष्ट्रीय आय का मापन, सरकारी क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर आधारित राष्ट्रीय आय के रोज़गार और उत्पादन के तीन प्रचालित मापों के अंत: संबंध, पर्यावरणीय प्रतिफल, हरित राष्ट्रीय आय।

3. **रोज़गार, उत्पादन, मुद्रा स्फीति, मुद्रा और वित्त के सिद्धांत** : क्लासिकी सिद्धांत एवं नव-क्लासिकी उपागम। संतुलन, क्लासिकी के अंतर्गत विश्लेषण और नव-क्लासिकी विश्लेषण। रोज़गार और उत्पादन कीन्स का सिद्धांत, कीन्सोत्तर विकास। स्फीति अंतर; मांग उत्प्रेरित बनाम लागत जन्य स्फीति-फिलिप वक्र तथा उसके नीतिगत निहितार्थ। मुद्रा, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, परिणाम सिद्धांत की फ्राइडमैन द्वारा पुनर्व्याख्या, मुद्रा की तटस्थता, ऋण योग्य निधियों की पूर्ति और मांग तथा वित्तीय बाजार में संतुलन, मुद्रा की मांग पर कीन्स का सिद्धांत। कीन्स के सिद्धांत में आईएस-एल मॉडल और एडी-एएस मॉडल।

4. **वित्तीय और पूंजीगत बाजार** : वित्त और आर्थिक विकास, वित्तीय बाजार, शेयर बाजार, गिल्ट बाजार, बैंकिंग और बीमा, इक्विटी बाजार; प्राथमिक और द्वितीयक बाजार की भूमिका और कौशलता, व्युत्पन्न बाजार; भविष्य और विकल्प।

5. **आर्थिक वृद्धि और विकास** : आर्थिक वृद्धि एवं विकास की अवधारणा उनका मापन: अल्प विकसित देशों की विशेषताएं तथा उनके विकास के अवरोधक-वृद्धि, गरीबी और आय वितरण, वृद्धि के सिद्धांत: क्लासिकी उपागम: एडमस्मिथ, मार्क्स एवं शुम्पिटर-नव क्लासिकी उपागम, रॉबिन्सन, सोलो, कॉल्डोर एवं हैरोड डोमर। आर्थिक विकास के सिद्धांत, रोस्टॉव, रोसेन्स्टीन रोडन, नर्क्स, हिर्शचमॅन, लीबेल्सटिन एवं आर्थर लेविस, एमिन एवं फ्रैंक (आश्रित विचारधारा) राज्य तथा बाजार की अपनी-अपनी भूमिकाएं, सामाजिक विकास का उपयोगितावादी और कल्याणवादी उपागम तथा ए.के. सेन की समालोचना। आर्थिक विकास के लिए लेन की क्षमता उपागम। मानव विकास सूचकांक। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता और मानव गरीबी सूचकांक, अंर्तजात वृद्धि सिद्धांत की मूल बातें।

6. **अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र :** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा अभिलाभ, व्यापार की शर्तें, नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत: रिकार्डो, हैबर्लर, हेक्सचर-ओहलिन तथा स्टॉपलर-सैमुअलसन-प्रशुल्क के सिद्धांत – क्षेत्रीय व्यापार प्रबंध, 1998 का एसियन संकट, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट और यूरो क्षेत्र संकट - कारण और प्रभाव।

7. **भुगतान संतुलन** : भुगतान संतुलन में विकृति, समायोजन तंत्र, विदेश व्यापार गुणक, विनियम दरें, आयात एवं विनियम नियंत्रण तथा बहुल विनिमय दरें, भुगतान संतुलन के आईएस-एलएम तथा मंडेल फ्लेमिंग मॉडल।

8. **वैश्विक संस्थाएं :** आर्थिक मामलों में संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम, जी-20

## सामान्य अर्थशास्त्र–III (केवल भा.आ.से. हेतु)

1. **लोक वित्त:** कराधान के सिद्धांत : इष्टतम कर और कर सुधार, कराधान के सूचक। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत : सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य और प्रभाव, सार्वजनिक व्यय नीति और सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण, सार्वजनिक निवेश निर्णयों के मानदंड, छूट की सामाजिक दर, निवेश का छाया मूल्य, अकुशल श्रम और विदेशी मुद्रा, बजटीय घाटा, सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन सिद्धांत।

2. **पर्यावरण अर्थशास्त्र** : पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास, रियो प्रक्रिया 1992 से 2012, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद, समेकित पर्यावरणीय और आर्थिक लेखाकरण की संयुक्त राष्ट्र संघ की पद्धति, पर्यावरणीय मूल्य उपयोगकर्ताओं और गैर-उपयोगकर्ताओं का मूल्य, मूल्यांकन अभिकल्प और प्रकटित अधिमानक पद्धतियां, पर्यावरणीय नीतिगत लेखों का प्रकल्प: प्रदूषण कर और प्रदूषण अनुज्ञा, स्थानीय समुदायों द्वारा सामूहिक कार्रवाई और अनौपचारिक विनियमन नि:शेषणीय और नवीकरणीय संसाधनों के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण करार, जलवायु परिवर्तण की समस्याएं, क्वोटो प्रोटोकाल, बाली कार्य योजना, **जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य करार**, व्यापार योग्य अनुज्ञा और कार्बन कर, कार्बन बाजार और बाजार तंत्र, जलवायु परिवर्तन और हरित जलवायु कोष।

3. **औद्योगिक अर्थशास्त्र** : बाजार ढांचा, फर्मों का संचालन और कार्य निष्पादन, उत्पाद विभेदीकरण और बाजार संकेन्द्रण, एकाधिकारात्मक मूल्य सिद्धांत और अल्पाधिकारात्मक अंतरनिर्भरता और मूल्य निर्धारण, प्रविष्टिनिवारक मूल्यनिर्धारण, स्तर निवेश निर्णय और फर्मों का व्यवहार, अनुसंधान और विकास तथा नवीन प्रक्रिया, बाजार, ढांचा और लाभकारिता, फर्मों की लोकनीति का विकास।

4. **राज्य, बाजार एवं नियोजन** : विकासशील अर्थव्यवस्था में नियोजन, नियोजन विनियमन और बाजार, सूचक नियोजन, विकेन्द्रीकृत नियोजन।

## भारतीय अर्थशास्त्र (केवल भा.आ.से. हेतु)

1. **विकास एवं योजना का इतिहास** : वैकल्पिक विकास नीतियां-आयात प्रतिस्थापन और संरक्षण पर आधारित आत्मनिर्भरता का उद्देश्य और स्थिरीकरण एवं संरचनामक समायोजन-संवेष्टन पर आधारित 1991 के बाद के वैश्वीकरण नीतियां: राजकोषीय सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा व्यापार संबधी सुधार।

2. **संघीय वित्त** : राज्यों के राजकोषीय और वित्तीय अधिकारों के संबंध में संवैधनिक प्रावधान, वित्त आयोग और करों में भागीदारी के विषय में उनके सूत्र, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का वित्तीय पक्ष, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों का वित्तीय पक्ष।

3. **बजट निर्माण तथा राजकोषीय नीति** : कर, व्यय बजटीय घाटा, पेंशन एवं राजकोषीय सुधार, लोक ऋण प्रबंधन और सुधार, राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, भारत में काला धन तथा समानान्तर अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था परिभाषा, आकलन, उत्पत्ति, परिणाम तथा उपचार।

4. **निर्धनता, बेरोजगारी तथा मानव-विकास** : भारत में असमानता तथा निर्धनता उपायों का आकलन, सरकारी उपायों का मूल्यांकन, विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत का मानव संसाधन विकास। भारत की जनसंख्या नीति तथा विकास। भारत में कौशल विकास संबंधी इकोसिस्टम का विकास।

5. **कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी कार्यनीतियां** : प्रौद्योगिकी एवं संस्थाएं : भूमि संबंध तथा भूमि सुधार, ग्रामीण ऋण, आधुनिक कृषि निविष्टियां तथा विपणन, मूल्यनीति तथा सब्सिडी वाणिज्यीकरण तथा विविधीकरण। गरीबी उपशमन कार्यक्रम सहित सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना विकास और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।

6. **शहरी एवं प्रवास के संबंध में भारत का अनुभव** : प्रवासन प्रवाह के विभिन्न प्रकार और उद्भव तथा स्थानों की अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव, शहरी अधिवास की विकास प्रक्रिया शहरी विकास कार्यनीतियां।

7. **उद्योग : औद्योगिक विकास की कार्यनीति :** औद्योगिक नीति में सुधार, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण नीति, प्रतिस्पर्धा नीति, औद्योगिक वित्त के स्त्रोत, बैंक, शेयर बाजार, बीमा कंपनियां, पेंशन निधियां, गैर-बैंकिंग स्त्रोत तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश एवं सूचीगत निवेश में विदेशी पूंजी की भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार निजीकरण तथा विनिवेश।

8. **श्रम** : रोज़गार, बेरोजगारी तथा आंशिक रोज़गार, औद्योगिक संबंध तथा श्रम कल्याण-रोज़गार सृजन के लिए कार्यनीति-शहरी श्रम बाजार तथा अनौपचारिक क्षेत्र में रोज़गार, राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट, श्रम संबंधी सामाजिक मुद्दे जैसे बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और इसके प्रभाव – भारत के श्रम कानून में सुधार।

9. **विदेश व्यापार** : भारत के विदेश व्यापार की प्रमुख विशेषताएं, व्यापार की संरचना, दिशा तथा व्यवस्था व्यापार नीति संबंधी अभिनव परिवर्तन, भुगतान संतुलन, टैरिफ नीति, विनिमय दर तथा भारत और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की अपेक्षाएं, द्विपक्षीय व्यापार **तथा निवेश** करार,**भारत की अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव**।

10. **मुद्रा तथा बैंकिंग** : वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार, भारतीय मुद्रा बाजार की व्यवस्था, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, विकास वित्त पोषण संस्थाओं विदेशी बैंक तथा बैंकत्तर वित्तीय संस्थाओं की बदलती भूमिकाएं, भारतीय पूंजी बाजार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी, वैश्विक वित्तीय बाजार का विकास तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र से इसके संबंध, वित्तीय अपराधों का आर्थिक प्रभाव, भारत में वस्तु बाजार, स्पॉट और वायदा बाजार।

**11. मुद्रास्फीति**: परिभाषा, प्रवृत्तियां, आकलन परिणाम और उपाय (नियंत्रण) थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, घटक और प्रवृतियां।

## सांख्यिकी –I (वस्तुनिष्ठ) (केवल भा.सा.से. हेतु)

### (i) प्रायिकता (प्रोबेबिलिटी):

प्रायिकता और परिणामों की प्रसिद्ध एवं अभिगृहीत परिभाषाएं। पूर्ण प्रायिकता के नियम, सप्रतिबंधित प्रायिकता, बेज-प्रमेय एवं अनुप्रयोग। सतत एवं असतत यादृच्छिक चर। बंटन फलन और उसकी विशेषताएं। मानक असतत और सतत प्रायिकता बंटन – बर्नूली, एक समान, द्विपद, प्वासों, ज्यामितिक, आयताकार, चरघातांकी, प्रसामान्य, कौशी, पराज्यामितिक, बहुपदी, लाप्लास, ऋणात्मक द्विपद, बीटा, गामा, लघुगणक। यादृच्छिक वेक्टर, संयुक्त एवं मार्जिनल बंटन, सप्रतिबंध बंटन, यादृच्छिक चर फलनों का बंटन। यादृच्छिक चरों के अनुक्रम के अभिसरण के बहुलक -*बंटन में*, प्रायिकता में, एक प्रायिकता के साथ तथा वर्ग माध्य(मीन स्कवेयर) में। गणितीय प्रत्याशा एवं सप्रतिबंधन प्रत्याशा। अभिलक्षण-फलन एवं आघूर्ण तथा प्रायिकता जनक फलन, प्रतिलोमन, अद्वितीयता तथा सतत प्रमेय। बोरल 0-1 नियम, कोल्मोगोरोव, 0-1 नियम। शेवीशेफ एवं कोल्मोगोरोव की असमिका। स्वतंत्र चर के लिए *वृहत* संख्याओं का नियम तथा केंद्रीय सीमा प्रमेय।

### (ii) सांख्यिकी विधियां:

आंकड़ों का संग्रह, संकलन एवं प्रस्तुतीकरण, सचित्र, आरेख एवं आयतचित्र, बारंबारता बंटन, अवस्थित प्रकीर्णन/परिक्षेपण वैषम्य एवं कुर्टोसिस की माप, द्विचर एवं बहुचर आंकड़े, साहचर्य एवं आसंग, वक्रआसंजन एवं लंबकोणीय बहुपद,द्विचर प्रसामान्य बंटन। समाश्रयण – रैखिक, बहुपद, सहसंबंध गुणांक, आंशिक एवं बहु सहसंबंध, अंतर्वर्गीय सहसंबंध, सहसंबंधनुपा ।

मानक त्रुटि और वृहत प्रतिदर्श(सैम्पल)परीक्षण। प्रतिदर्श माध्य (मीन) का प्रतिदर्श वितरण, प्रतिदर्श प्रसरण, t, काई (chi) वर्ग तथा F ; इन पर आधारित सार्थकता परीक्षण, लघु प्रतिदर्श परीक्षण।

अप्राचलिक परीक्षण – समंजन सुष्ठुता, साईन माध्यिका, रन, विल्कक्सन, मान-विटनी, वाल्ड वुल्फोविटस एवं काल्मोगोराव–स्मिरनोव, क्रम सांख्यिकी–न्यूनतम, अधिकतम, परास एवं माध्यिका, उपगामी आपेक्षिक दक्षता की संकल्पना।

### (iii) संख्यात्मक विश्लेषण:

**विभिन्न क्रमों के परिमित अंतर:** ∆, E और D ऑपरेटर, बहुपद का क्रमगुणित निरूपण, प्रतीकों का पृथक्करण, अंतरालों का उप-विभाजन, शून्य के अंतर।

**अंतर्वेशन और बहिर्वेशन की संकल्पना:** सम अंतरालोँ, विभक्त अंतरालोँ पर न्यूटन ग्रेगोरी का अग्र और पश्च अंतर्वेशन(फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन) सूत्र और उनकी विशेषताएं, विभक्त अंतरालोँ पर न्यूटन का सूत्र, असम अंतरालोँ पर लेग्रेंजे का सूत्र, गाउस, स्टेर्लिंग और बेसल के कारण केंद्रीय अंतर सूत्र, अंतर्वेशन सूत्र में त्रुटि पद की संकल्पना।

**प्रतिलोम अंतर्वेशन:** प्रतिलोम अंतर्वेशन की विभिन्न विधियां।

**संख्यात्मक एकीकरण:** समलम्बी, सिम्पसन का एक-तिहाई और तीन बटे आठ नियम तथा वेडुल के नियम।

**श्रेणी-संकलन:** जिसकी सामान्य परिभाषा (i) फलन का प्रथम-अंतर (ii) ज्यामितिक श्रेढ़ी (प्रोगेशन)।
**अवकलन समीकरणों के संख्यात्मक हल:** ऑयलर पद्धति, मिल्न पद्धति, पिकार्ड पद्धति और रूंगे कुट्टा पद्धति।

### (iv) कंप्यूटर अनुप्रयोग और डाटा प्रोसेसिंग:

**कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान :** कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर सिस्टम की विभिन्न इकाइयां जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, अंकगणित और तार्किक यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट इत्यादि, विभिन्न प्रकार के इनपुट, आउटपुट तथा पेरीफेरल उपकरणों सहित हार्डवेयर, साफ्टवेयर, सिस्टम और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, अंक प्रणालियां, आपरेटिंग प्रणालियां, पैकेज और युटिलिटीज, सरल और जटिल भाषा स्तर, कम्पाइलर, एसेम्बलर, मेमोरी- रैम, रोम, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट (बिट्स, बाइट्स इत्यादि), नेटवर्क – लैन(LAN), वैन(WAN), इंटरनेट, इन्ट्रानेट, कंप्यूटर सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांत, वायरस, एन्टी वायरस, फायरवॉल, स्पाईवेयर, मालवेयर आदि।
**प्रोग्रामिंग के मूलभूत सिद्धांत:** एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, डाटा, सूचना, डाटाबेस, विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का सिंहावलोकन, परियोजना का फ्रंट एंड और बैक एंड, चर, नियन्त्रण संरचना, सरणी और उनके प्रयोग, प्रकार्य, माड्यूल्स, लूप्स, प्रतिबंधी विवरण, अपवाद, डिबगिंग और संबंधित संकल्पनाएं।

## <u>सांख्यिकी-II (वस्तुनिष्ठ) (केवल भा.सा.से. हेतु)</u>

### (i) रैखिक मॉडल:

**रैखिक आकलन सिद्धांत, गाउस**-मार्कोव रैखिक मॉडल, आकलन योग्य प्रकार्य, त्रुटि और आकलन अंतराल, सामान्य समीकरण और अल्पतम वर्ग आकलक, त्रुटि परिवर्तन का आकलन, परस्पर प्रेक्षणों का आकलन, अल्पतम वर्ग आकलकों के विशेषताएं, मैट्रिक्स का सामान्यीकृत प्रतिलोम और सामान्य सूत्रों का हल, अल्पतम वर्ग आकलकों के प्रसरण और सहप्रसरण।
एकतरफा (वन-वे) एवं दोतरफा (टू-वे) वर्गीकरण, नियत, यादृच्छिक और मिश्रित प्रभाव मॉडल। प्रसरण का विश्लेषण (केवल दोतरफा वर्गीकरण), टके, स्केफी और स्टुडेंट–न्यूमेन-कीयूल–डंकन के कारण बहु तुलनात्मक परीक्षण।

### (ii) सांख्यिकीय निष्कर्ष और परिकल्पना परीक्षण:

**अच्छे आकलन की विशेषताएँ:** अधिकतम संभाविता, अल्पतम काई-वर्ग, आघूर्ण एवं न्यूनतम वर्ग के आकलन की विधियां, अधिकतम संभाविता आकलकों के इष्टतम गुण। न्यूनतम प्रसरण अनभिनत (अनबायस्ड) आकलक। न्यूनतम प्रसरण परिबद्ध आकलक, क्रामर-राव असमिका। भट्टाचार्य परिबद्ध। पर्याप्त आकलक। गुणनखंडन प्रमेय। पूर्ण सांख्यिकी। राव-ब्लैकवेल प्रमेय। विश्वास्यता अंतराल आकलन। इष्टतम विश्वास्यता परिबद्ध। पुन: प्रतिदर्शग्रहण, बूटस्ट्रैप एवं जैकनाइफ।
**परिकल्पना परीक्षण:** सरल एवं मिश्र परिकल्पना। दो प्रकार की त्रुटियां। क्रांतिक क्षेत्र (क्रीटीकल रीजन)। विभिन्न प्रकार के क्रांतिक क्षेत्र एवं समरूप क्षेत्र। क्षमता फलन। अधिकतम क्षमता एवं एक समान अधिकतम क्षमता परीक्षण। नेमेन – पियर्सन मूल लेमा। अनभिनत परीक्षण यादृच्छीकृत परीक्षण। संभाविता अनुपात परीक्षण वाल्ड, एस.पी.आर.टी, ओ.सी. एवं ए.एस.एन फलन। निर्णय सिद्धांत के तत्व।

**(iii) आधिकारिक सांख्यिकीः**

**राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली**

आधिकारिक सांख्यिकीः (क) आवश्यकता, उपयोग, उपयोगकर्ता, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, सीमाएं, पारदर्शिता और इसका प्रकटीकरण (ख) संकलन, संग्रहण, संसाधन, विश्लेषण तथा प्रसार इसमें शामिल एजेंसियां, पद्धतियां।

**राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनः** दृष्टि तथा लक्ष्य (विजन और मिशन), एनएसएसओ तथा सीएसओ, भूमिकाएं तथा दायित्व, महत्वपूर्ण कार्यकलाप, प्रकाशन आदि।

**राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोगः** आवश्यकता, गठन, इसकी भूमिका, प्रकार्य आदि; विधिक अधिनियम/उपबंध/ आधिकारिक सांख्यिकी के लिए अवलंब ; महत्वपूर्ण अधिनियम।

**सूचकांक :** विभिन्न प्रकार, आवश्यकता, आंकड़ा संग्रहण प्रणाली, आवधिकता, शामिल एजेंसियां, उपयोग।

**क्षेत्रवार सांख्यिकी** : कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल इत्यादि महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं जनगणना, संकेतक, एजेंसियां तथा परिपाटी इत्यादि।

**राष्ट्रीय लेखा :** परिभाषा, बुनियादी संकल्पनाएं, मुद्दे, कार्यनीति, आंकडों का संग्रहण तथा जारी करना।

**जनगणना:** आवश्यकता, संग्रहित आंकड़े, आवधिकता, आंकड़ा संग्रहण की पद्धतियां, उनका प्रसार, शामिल एजेंसियां।

**विविध :** सामाजिक-आर्थिक संकेतक, लिंग संबंधी विषयों पर जागरूकता/सांख्यिकी, महत्वपूर्ण सर्वेक्षण तथा जनगणनाएं।

## <u>सांख्यिकी-III (विवरणात्मक) (केवल भा.सा.से. हेतु)</u>

**(i) सेंपलिंग (प्रतिदर्श) तकनीक**

जनगणना और प्रतिदर्श की संकल्पना, प्रतिदर्शग्रहण की आवश्यकता, सम्पूर्ण गणन बनाम प्रतिदर्शग्रहण, प्रतिदर्शग्रहण हेतु मूल संकल्पनाएं, प्रतिदर्शग्रहण और गैर-प्रतिदर्शग्रहण त्रुटि, प्रतिदर्श सर्वेक्षण (क्षेत्र अन्वेषण में अपनायी गई प्रश्नावलियों, प्रतिदर्शग्रहण का डिजाइन और विधियों) में एनएसएसओ द्वारा अपनायी गई कार्य पद्धतियां।

विषयपरक अथवा उद्देश्यपरक प्रतिदर्शग्रहण, प्रायिकता प्रतिदर्शग्रहण अथवा यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण, प्रतिस्थापन सहित और इसके बिना सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण, जनगणना माध्य(मीन) का आकलन, जनसंख्या समानुपात और उनकी मानक त्रुटियां, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण, समानुपातिक और इष्टतम आबंटन, नियत प्रतिदर्श आकार के लिए सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण से तुलना। सहप्रसरण और प्रसरण प्रकार्य।

आकलन की अनुपात, गुणनफल और समाश्रयण विधियां, जनसंख्या माध्य(मीन) का आकलन, प्रथम कोटिक सन्निकटन की अभिनति और प्रसरण का मूल्यांकन, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण के साथ तुलना।

क्रमबद्ध प्रतिदर्शग्रहण (इसमें जनसंख्या आकार (N) एक पूर्णांक है जोकि प्रतिदर्शग्रहण आकार (n) का गुणांक है)। जनसंख्या माध्य(मीन) का आकलन और इस आकलन की मानक त्रुटि, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण के साथ तुलना।

आकार के समानुपातिक (प्रतिस्थापन विधि सहित तथा इसके बिना) प्रायिकता प्रतिदर्शग्रहण n=2 के लिए देशराज और दास आकलक, हार्विट्ज-थॉमसन आकलक।

समान आकार वाले समूह का प्रतिदर्शग्रहण:- जनगणना माध्य (मीन) और जोड़ के आकलक तथा उनकी मानक त्रुटियां, अंतरा-वर्ग सहसंबंध सहगुणांक के रूप में समूह प्रतिदर्शग्रहण की एसआरएस के साथ तुलना।

बहुचरणीय प्रतिदर्शग्रहण की संकल्पना और इसके अनुप्रयोग, दूसरे चरण की इकाइयों की संख्या को समान रखते हुए द्वि चरणीय प्रतिदर्शग्रहण। जनसंख्या माध्य(मीन) और जोड़ का आकलन। दोहरा प्रतिदर्शग्रहण अनुपात और आकलन की समाश्रयण विधियां।
परस्पर वेधी(इंटरपेनिट्रेटिंग) उप-प्रतिदर्शग्रहण की संकल्पना।

**(ii) अर्थमिती:**

अर्थमिती की प्रकृति, सामान्य रैखिक मॉडल (जीएलएम) तथा इसका विस्तार, साधारण अल्पतम वर्ग आकलन (OLS) आकलन और प्रागुक्ति (प्रेडिक्शन), सामान्यीकृत अल्पतम वर्ग आकलन (GLS) आकलन और प्रागुक्ति, विषम विचालिता विक्षोभ (हेटेरोस्केडेस्टिक डिस्ट्रबेन्स), शुद्ध और मिश्रित आकलन।
स्व-सहसंबंध, इसके परिणाम और परीक्षण, थेएल बीएलयूएस प्रक्रिया, आकलन और प्रागुक्ति, बहु सह-रैखिकता की समस्या, इसके निहितार्थ और समस्या का हल निकालने के साधन, रिज समाश्रयण।
रैखिक समाश्रयण और प्रसंभाव्य समाश्रयण, साधनभूत चर आकलन, चरों में त्रुटियां, स्व–समाश्रयण, रैखिक समाश्रयण, पश्चगामी चर, बंटित पश्चता(लैग) मॉडल, ओएलएस पद्धति से पश्चताओं का आकलन, कोएक का ज्यामितिक पश्चता मॉडल।
समकालिक रैखिक समीकरण मॉडल और इसका व्यापकीकरण, समस्या का अभिनिर्धारण, संरचनात्मक पैरामीटरों पर प्रतिबंध, रैंक तथा क्रमिक स्थिति।
समकालिक समीकरण मॉडल आकलन, पुनरावर्तन प्रणालियां, 2 एसएलएस आकलक, सीमित सूचना आकलक, के-वर्ग (k-class) आकलक, 3 एसएलएस आकलक, पूर्ण सूचना अधिकतम संभाविता विधि, प्रागुक्ति और समकालिक विश्वास्यता अन्तराल।

**(iii) अनुप्रयुक्त सांख्यिकी:**

सूचकांक: मूल्य सापेक्षताएं और परिमाण अथवा मात्रा सापेक्षताएं, सूचकांक का लिंक और शृंखला सापेक्ष संघटन; लस्पेयरे पासचेस, मार्शल एजवर्थ और फिशर सूचकांक, शृंखला आधारित सूचकांक, सूचकांक के लिए परीक्षण, थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करना, आय वितरण-परेटो और एंजेल वक्र, केन्द्रण वक्र, राष्ट्रीय आय का आकलन करने की विधियां, अंतर-क्षेत्रीय प्रवाह, अन्तर-उद्योग तालिका, सीएसओ की भूमिका, मांग विश्लेषण।
काल श्रेणी (टाइम सीरीज) विश्लेषण: आर्थिक काल श्रेणी (इकॉनोमिक टाइम सीरीज), विभिन्न घटक, दृष्टांत, योगात्मक और गुणात्मक मॉडल, प्रवृत्ति का निर्धारण, मौसमी और चक्रीय उतार-चढ़ाव।
असतत पैरामीटर प्रसंभाव्य प्रक्रम के रूप में काल श्रेणी, स्वचल सहप्रसरण और स्वचल सहसंबंध प्रकार्य और उनके गुण।
अन्वेषी काल श्रेणी विश्लेषण, प्रवृत्ति और मौसम-तत्व का परीक्षण, चरघातांकी और गतिमान माध्य(एवरेज) समरेखण (एक्सपोनेंशियल एंड मूविंग एवरेज स्मूदिंग)। होल्ट एवं विंटर्स स्मूदिंग, समरेखण (स्मूदिंग) पर आधारित पूर्वानुमान।
स्टेशनरी प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन : (1) गतिमान माध्य(एवरेज) (एम ए), (2) स्व समाश्रयी (एआर), (3) एआरएमए तथा (4) एआर समेकित एमए (एआरआईएमए) मॉडल। बॉक्स-जेनकिन्स मॉडल, एआर तथा एमए अवधियों का चयन।

वृहत प्रतिदर्श सिद्धांत के अधीन माध्य(मीन) के आकलन, स्व सहप्रसरण तथा स्व सहसंबंध प्रकार्य पर चर्चा (साक्ष्य के बिना), एआरआईएमए मॉडल पैरामीटर के आकलन।

क्षीण अचल प्रक्रियाओं का मानावलीय(स्पेक्ट्रल) विश्लेषण, आवर्तिता वक्र (पीरियडोग्राम) तथा सह-संबंध चिह्न (कोरिलोग्राम) विश्लेषण, फूरिए रूपान्तर पर आधारित अभिकलन।

## सांख्यिकी-IV (विवरणात्मक) (केवल भा.सा.से. हेतु)

**(नीचे दिए गए सभी खंडों में प्रश्नों की संख्या बराबर है अर्थात् इनके लिए 50% अंक निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को किन्हीं दो खंडों का चयन करके उनके उत्तर देने हैं)**

### (i) संक्रिया विज्ञान अनुसंधान एवं विश्वसनीयताः

संक्रिया विज्ञान अनुसंधान की परिभाषा तथा विषय-क्षेत्र : संक्रिया विज्ञान अनुसंधान के चरण, मॉडल तथा उनके हल, अनिश्चितता तथा जोखिम के अंतर्गत निर्णय लेना, अलग-अलग मानदंडों का उपयोग, सुग्राहिता विश्लेषण।

परिवहन तथा नियतन समस्याएं: बेलमैन का इष्टतमता का सिद्धांत, सामान्य निरूपण, अभिकलन पद्धतियां तथा एलपीपी के लिए गतिक प्रोग्राम का अनुप्रयोग।

प्रतिस्पर्धा को देखते हुए निर्णय लेना, द्वि व्यक्तीय खेल (टू पर्सन्स गेम ), शुद्ध तथा मिश्रित कार्यनीतियां, शून्य-योग खेल (जीरो-सम गेम) में समाधान की विद्यमानता और मान की अद्वितीयता, 2x2, 2xm तथा mxn खेलों में समाधान ढूँढना।

तालिकाओं (इन्वेंट्री) संबंधी समस्याओं की विश्लेषणात्मक संरचना, हैरिस का इओक्यू सूत्र, इसका सुग्राहिता विश्लेषण तथा मात्रा मितिकाटा और कमियों की अनुमति देते हुए विस्तरण। व्यवरोधयुक्त बहुपद तालिका, यादृच्छिक मांग मॉडल, स्थैतिक जोखिम मॉडल। स्थिर और यादृच्छिक अग्रता काल की P तथा Q-प्रणालियां।

पंक्ति-मॉडल-विनिर्देश और प्रभाविता के उपाय। पंक्ति-लंबाई तथा प्रतीक्षा काल से संबंधित वितरण के साथ M/M/1, M/M/c के माडलों के स्थायी-अवस्था समाधान। M/G/1 पंक्ति तथा पोल्लाजेक-खिशिन परिणाम।

अनुक्रमण तथा अनुसूचन (शेड्यूलिंग) समस्याएं। सभी कार्यों के लिए समरूप मशीन अनुक्रम के साथ 2-मशीन n-जॉब तथा 3-मशीन n-जॉब संबंधी समस्याएं।

यात्रा कर रहे सेल्समैन की समस्या के समाधान के लिए ब्रांच एंड बाउंड विधि।

प्रतिस्थापन समस्याएं- ब्लॉक एंड एज प्रतिस्थापन नीतियां।

पीईआरटी तथा सीपीएम-मूल संकल्पनाएं। परियोजना के पूरा होने की प्रायिकता।

विश्वसनीयता संकल्पनाएं तथा उपाय, घटक व प्रणालियां, संगत प्रणाली, संगत प्रणाली की विश्वसनीयता।

वय-बंटन, विश्वसनीयता प्रकार्य, जोखिम दर, सामान्य एक-विचर वय-बंटन - चरघातांकी, वैबुल, गामा, आदि। द्विचर चरघातांकी बंटन। इन मॉडलों में पैरामीटरों तथा परीक्षणों का आकलन।

काल प्रभावन की धारणाएं - IFR, IFRA, NBU, DMRL तथा NBUE वर्ग तथा उनके द्वैध। चरघातांकी बंटन की विस्मृति की विशेषता।

विभिन्न खंड वर्जित (सेंसर) आयु-परीक्षणों में और विफल मदों के प्रतिस्थापन वाले परीक्षणों में विफलता के समय पर आधारित विश्वसनीयता का आकलन। प्रतिबल-प्रबलता विश्वसनीयता तथा इसका आकलन।

### (ii) जनसांख्यिकी तथा जन्म-मरण सांख्यिकीः

जनसांख्यिकी आंकड़ों के स्रोत, जनगणना, पंजीकरण, तदर्थ सर्वेक्षण, अस्पतालों के रिकॉर्ड, भारतीय जनगणना का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल।

पूर्ण वय-सारणी तथा इसकी मुख्य विशेषताएं, वय-सारणी के उपयोग। मैकहैन्स तथा गोमपेर्ट्ज वक्र। राष्ट्रीय वय-सारणी। यूएन मॉडल वय-सारणी। संक्षिप्त वय-सारणी। स्थायी एवं स्थावर जनसंख्या।

प्रजनन का मापः अशोधित (क्रूड) जन्म दर, सामान्य प्रजनन दर, आयु-विशिष्ट जन्म दर, कुल प्रजननक्षमता दर, सकल प्रजनन दर, निवल प्रजनन दर।

मृत्यु दर का मापः अशोधित मृत्यु दर, मानकीकृत मृत्यु दर, आयु-विशिष्ट मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सकारण मृत्यु दर।

आंतरिक प्रवसन तथा इसका माप, प्रवसन मॉडल, अंतरराष्ट्रीय प्रवसन की संकल्पना। निवल प्रवसन। अंतरराष्ट्रीय तथा जनगणना के बाद का आकलन। प्रक्षेप विधि, संभार वक्र समंजन (**लॉज़िस्टिक कर्व फिटिंग**)। भारत में दशवार्षिक जनगणना।

### (iii) उत्तर-जीविता विश्लेषण तथा रोग-लक्षण परीक्षणः

समय की संकल्पना, क्रमिक तथा यादृच्छिक गणना, बंटन में संभाविता, इन बंटनों के लिए चर-घातांक, गामा, वीबुल, लॉगनोरमल, पेरीटो, रैखिक विफलता दर तथा अनुमिति (इन्फरेंस)।

वय-सारणी, विफलता दर, माध्य(मीन) शेष जीवन तथा उनके प्रारंभिक वर्ग व उनकी विशेषताएं।

उत्तरजीविता प्रकार्य का आकलन-जीवनांकिक आकलक, कपलान-मेअर आकलक, आईएफआर/ डीएफआर के पूर्वानुमान के अंतर्गत आकलन, अप्राचलीय वर्गों (नॉन-पैरामीट्रिक क्लास) की तुलना में चर-घातांकिकता का परीक्षण, कुल परीक्षण समय।

द्वि-प्रतिदर्श समस्या- गेहन परीक्षण, लॉग रैंक परीक्षण।

विफलता दर के लिए अर्ध-प्राचलीय समाश्रयण (रिग्रेशन) - एक तथा अनेक सह-परिवर्तियों के साथ कॉक्स का समानुपातिक संकट मॉडल, समाश्रयण(रिग्रेशन)गुणांक के लिए रैंक परीक्षण।

प्रतिस्पर्धा जोखिम मॉडल, इस मॉडल के लिए प्राचलीय व अप्राचलीय अनुमिति।

रोग-लक्षण परीक्षणों का परिचय : रोग-लक्षण परीक्षण की आवश्यकता तथा आचारनीति , रोग-लक्षण अध्ययनों में अभिनति यादृच्छिक त्रुटियां, रोग-लक्षण परीक्षणों का संचालन, चरण I-IV परीक्षणों का संक्षिप्त विवरण, बहु-केंद्रीय परीक्षण।

आंकड़ा प्रबंधन : आंकड़ों की परिभाषा, केस रिपोर्ट प्रपत्र, डाटाबेस डिजाइन, रोग-लक्षण की सही कार्यपद्धति के लिए डाटा संग्रहण प्रणालियां।

रोग-लक्षण परीक्षणों की रूप-रेखा : समानांतर बनाम क्रास ओवर डिजाइन, वर्गगत (क्रॉस सेक्शनल) बनाम अनुदैर्घ्य (लॉन्जिट्यूडनल) डिजाइन, बहुउपादानी डिजाइन की समीक्षा, रोग-लक्षण परीक्षणों के उद्देश्य तथा अंत्य बिंदु, प्रावस्था I (फ़ेज-I) परीक्षणों का डिजाइन, एकल-चरण तथा बहु-चरण प्रावस्था II परीक्षणों का डिजाइन, अनुक्रमिक निरोध (स्टॉपिंग) के साथ प्रावस्था-III परीक्षणों का डिजाइन तथा निगरानी।

रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण करना : प्रावस्था I-III परीक्षणों से प्राप्त सुनिश्चित परिणामों का विश्लेषण, रोग-लक्षण परीक्षणों से प्राप्त उत्तरजीविता आंकड़ों का विश्लेषण।

### (iv) गुणवत्ता नियंत्रणः

सांख्यिकीय प्रक्रिया (प्रोसेस) तथा उत्पाद (प्रोडक्ट) नियंत्रण : उत्पाद की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता, प्रक्रिया नियंत्रण की मूल संकल्पना, प्रक्रिया क्षमता तथा उत्पाद नियंत्रण, नियंत्रण चार्ट के सामान्य सिद्धांत, गुणवत्ता में भिन्नता के कारण, नियंत्रण सीमाएं, नियंत्रण बाह्य मानदंडों के उप-समूहन सारांश, p चार्ट, np चार्ट, c-चार्ट, V-चार्ट के प्रतीकों के लिए चार्ट, चरों के लिए चार्ट : R, ($\bar{X}$, R), ($\bar{X}$, $\sigma$) चार्ट।

प्रक्रिया निगरानी तथा नियंत्रण की मूल संकल्पना; प्रक्रिया क्षमता तथा इष्टतमीकरण।

गुण(एट्रीब्यूट) तथा चर(वेरिएबल) डाटा के लिए नियंत्रण चार्ट के सामान्य सिद्धांत तथा समीक्षा ; नियंत्रण चार्ट की O.C. तथा A.R.L. प्रमापन द्वारा नियंत्रण; गतिमान माध्य(एवरेज) तथा चरघातांकी रूप से भारित गतिमान माध्य(एवरेज)चार्ट; V-मास्क तथा निर्णय अंतरालों का उपयोग करके Cu-योग चार्ट; X-बार चार्ट का आर्थिक डिजाइन।

गुण(एट्रीब्यूट) निरीक्षणों के लिए स्वीकरण प्रतिदर्शग्रहण योजना; एकल तथा द्वि प्रतिदर्शग्रहण योजनाएं तथा उनकी विशेषताएँ; एक-पक्षीय तथा द्वि-पक्षीय विनिर्देश के लिए चरों द्वारा निरीक्षण की योजनाएं।

### (v) बहुचर विश्लेषण

बहुचर सामान्य वितरण और इसकी विशेषताएँ: बहुचर सामान्य वितरण से यादृच्छिक प्रतिदर्शग्रहण। पैरामीटरों के अधिकतम संभाविता आकलक, प्रतिदर्श माध्य सदिश (मीन वेक्टर) का वितरण।

विशार्ट मैट्रिक्स – इनका बंटन और विशेषताएँ, प्रतिदर्श प्रसामान्यकृत प्रसरण का बंटन, बहु सहसंबंध गुणांकों का शून्य और गैर-शून्य बंटन।

होटलिंग का $T^2$ और इसका प्रतिदर्शग्रहण बंटन, एक और एक से अधिक बहुचर प्रसामान्य जनसंख्या के लिए माध्य सदिश(मीन वेक्टर) पर तथा साथ ही बहुचर प्रसामान्य जनसंख्या में माध्य सदिश(मीन वेक्टर) के घटकों की समानता पर परीक्षण में अनुप्रयोग।

वर्गीकरण की समस्या: अच्छे वर्गीकरण के मानक, बहुचर प्रसामान्य बंटनों पर आधारित वर्गीकरण की प्रक्रिया।

प्रधान घटक, विमा(डाइमेंशन) में कमी, विहित विचर एवं विहित सह-संबंध - परिभाषा, उपयोग, आकलन और अभिकलन।

### (vi) प्रयोगों का डिजाइन एवं विश्लेषण:

एक तरफा एवं दो तरफा वर्गीकरणों के लिए प्रसरण का विश्लेषण, प्रयोगों के डिजाइन की आवश्यकता, प्रयोगात्मक डिजाइन का मूल सिद्धांत (यादृच्छीकरण, प्रतिकृति और स्थानीय नियंत्रण), पूर्ण विश्लेषण तथा पूर्ण यादृच्छीकृत डिजाइनों के अभिन्यास(लेआउट), यादृच्छीकृत ब्लाक डिजाइन और लेटिन वर्ग डिजाइन, मिसिंग प्लॉट तकनीक। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन तथा स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन।

$2^n$ तथा $3^n$ प्रयोगों में क्रमगुणित प्रयोग तथा संकरण। सह-प्रसरण का विश्लेषण। अस्वतंत्र आंकड़ों का विश्लेषण। अप्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण।

### (vii) C तथा R के साथ अभिकलन (कंप्यूटिंग):

**C के मूल सिद्धांत :** C-लेंग्वेज के घटक, C-प्रोग्राम की संरचना, डाटा के प्रकार, बेसिक डाटा के प्रकार, गिने हुए डाटा के प्रकार, व्युत्पन्न डाटा के प्रकार, चर कथन(वेरिएबल डिक्लेरेशन), स्थानीय, वैश्विक, प्राचलीय (पैरामीट्रीक) चर, चर का नियतन, अंकीय, संप्रतीक, रियल एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, अंकगणित, रिलेशन एवं

लॉजिकल ऑपरेटर, एसाइनमेंट ऑपरेटर तथा वृद्धि और ह्रास ऑपरेटर, प्रतिबंधी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, प्रारूप रूपांतरक एवं अभिव्यंजक(एक्सप्रेशन), लेखन और निर्वचन अभिव्यंजक, विवरणों में अभिव्यंजकों का उपयोग, बेसिक इनपुट /आउटपुट

नियंत्रण विवरण : प्रतिबंधी विवरण, इफ-एल्स, इफ-एल्स नेस्टिंग, एल्स इफ लैडर, स्विच स्टेटमेंट, c में लूप्स, फार, वाइल डू-व्हाईल लूप्स, ब्रेक, कंटिन्यू, एक्जिट ( ), गो टू और लेवल डिक्लेरेशन, एक आयामी द्वि आयामी तथा बहुआयामी सरणी(अरै), संग्रहण वर्ग (स्टोरेज क्लास ), स्वचालित चर, बाह्य चर, स्थैतिक चर, कथन का स्कोप एवं उनकी आवधिकता।

प्रकार्य : प्रकार्यों का वर्गीकरण, प्रकार्यों की परिभाषा तथा कथन, प्रकार्यों का मूल्यांकन, रिटर्न विवरण, प्रकार्यों में पैरामीटर पासिंग। प्वांइटर्स (केवल संकल्पना )

संरचना : परिभाषा तथा कथन; संरचना चर(स्ट्रक्चर वेरिएबल) की संरचना (आरंभिक) तुलना, संरचनाओं की सरणी, संरचनाओं के भीतर सरणी, संरचनाओं के अंदर की संरचनाएं, संरचनाओं की प्रकार्यों के लिए पासिंग, यूनियन मेम्बर तक पहुंच (एक्सेस) वाली यूनियन,संरचना का यूनियन, यूनियन चर को प्रारंभ करना, यूनियन का उपयोग। लिंक्ड लिस्ट, लिनियर लिंक्ड लिस्ट, लिस्ट में नोड को शामिल करने, लिस्ट से नोड को हटाने की जानकारी।

C में फाइलें : फाइल को परिभाषित करना तथा खोलना, फाइल पर इनपुट – आउटपुट प्रचालन, फाइल बनाना, फाइल पढ़ना।

R में सांख्यिकी पद्धतियां तथा तकनीकें।

## परिशिष्ट – II (क)

## ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए उम्मीदवारों हेतु अनुदेश

- उम्मीदवार द्वारा वेबसाइट https://upsconline.nic.in का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा।
- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर 'अनुदेश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' -> 'फॉर्म भरने हेतु अनुदेश' के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
- उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले सामान्य अनुदेश, विवरण/मॉड्यूल-वार अनुदेश और दस्तावेज़ अपलोड करने संबंधी अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित दावों के संबंध में आयोग द्वारा मांगी गई विभिन्न जानकारियों और सहायक दस्तावेजों के साथ-साथ यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन पत्र (सीएएफ) और चौथा मॉड्यूल अर्थात परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क और केंद्र आदि सहित) जमा करना होगा।
- भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2026 में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों (अजा/अजजा/ महिला/बेचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) को 200/- रु. (केवल दो सौ रुपये) का शुल्क किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई पेमेंट का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।

- ऑनलाइन आवेदन भरने ~~आरंभ~~ से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि फोटोग्राफ फ़ाइल 200 केबी से अधिक नहीं हो, लेकिन फोटोग्राफ के लिए आकार में 20 केबी से कम न हो और हस्ताक्षर फ़ाइल 100 केबी से अधिक और 20 केबी से कम न हो।
- उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी)/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा। उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।
- ऑनलाइन आवेदन (11 फरवरी, 2026 से 3 मार्च, 2026 **को सायं 18:00 बजे** तक भरे जा सकते हैं।
- आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना मान्य और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनि ई-मेल नियमित रूप से देखें तथा यह सुनिश्चित करें कि

@nic.in और @gov.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर में आएं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर में नहीं।

- **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।**
- आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भरें।

## परिशिष्ट-II(ख)

**आवेदन वापस लेने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश**

**एक बार आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद उम्मीदवारों को उसे वापस लेने की अनुमति नहीं है।**

## परिशिष्ट-III

## परम्परागत प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए उम्मीदवारों हेतु विशेष अनुदेश

### 1. <u>परीक्षा हॉल में ले जाने वाली वस्तुएं:</u>

केवल "नॉन-प्रोग्रामेबल" प्रकार की बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर, गणितीय/ इंजीनियरी/आरेखन उपकरण जिसमें एक ऐसा चपटा पैमाना, जिसके किनारे पर इंच तथा इंच के दशांश तथा सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान दिए हों, एक स्लाइड रूल, सैट स्क्वेयर, एक प्रोटेक्टर और परकार का एक सैट, पेंसिलें, रंगीन पेंसिलें, मानचित्र की कलम, रबड़, टी-स्क्वेयर तथा ड्रांइग बोर्ड यथा अपेक्षित प्रयोग के लिए साथ लाने चाहिए। उम्मीदवारों को प्रयोग के लिए परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार की "सारणी अथवा चार्ट" साथ लाने की अनुमति नहीं है।

जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है वहाँ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र लाना मना है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंध भी शामिल है।

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

### 2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सारणियां:

किसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर, आयोग निम्नलिखित वस्तुएं केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराएगा:-

(i) गणितीय/भौतिकीय, रासायनिक तथा इंजीनियरी संबंधी सारणियां (लघु गणक सारणी सहित);

(ii) भाप संबंधी (स्टीम) सारणियां (800° सेंटीग्रेड तथा 500 के.जी.एफ./सेंटी.मी.$^2$); तक के दबाव के लिए प्रशमन (मोलियर) आरेखों (डायग्राम) सहित);

(iii) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 1970 अथवा 1983 ग्रुप 2 भाग VI;

(iv) प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उम्मीदवार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य विशेष वस्तुएँ;

परीक्षा समाप्त होने पर, उपर्युक्त वस्तुएं निरीक्षक को वापस कर दें।

### 3. उत्तरों को अपने हाथ से लिखना:

उत्तर स्वयं स्याही से लिखें। पेंसिल का प्रयोग मानचित्र, गणितीय आरेख अथवा कच्चे कार्य के लिए किया जा सकता है।

### 4. उत्तर-पुस्तिका की जांच:

उम्मीदवार को अपने द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका में विर्निदिष्ट स्थान में ही अपना अनुक्रमांक लिखना चाहिए (अपना नाम नहीं)। उत्तर-पुस्तिका में लिखना शुरू करने से पहले कृपया यह देख लें कि वह पूरी है। यदि किसी उत्तर-पुस्तिका के पन्ने गुम हों, तो उसे बदलवा लेना चाहिए।

उत्तर-पुस्तिका में से किसी पृष्ठ को न फाड़ें। यदि आप एक से अधिक उत्तर-पुस्तिका का प्रयोग करते हैं, तो उसे प्रथम उत्तर-पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर कुल प्रयोग की गई उत्तर-पुस्तिकाओं की संख्या अंकित करें। उत्तरों के बीच में खाली जगह न छोड़ें। यदि ऐसे स्थान छोड़े गए हों तो उसे काट दें।

**5. निर्धारित संख्या से अधिक दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा:**

उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो केवल निर्धारित संख्या तक पहले जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए होंगे उनका ही मूल्यांकन किया जाएगा। शेष का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. उम्मीदवार को ग्राफ/सार लेखन वाले प्रश्नों के उत्तर ग्राफ शीट/सार लेखन शीट पर को सभी प्रयुक्त या अप्रयुक्त खुले पत्रक जैसे सार लेखन पत्रक, आरेख पत्र, ग्राफ पत्रक आदि को, जो उसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए जाएं, अपनी उत्तर-पुस्तिका में रखकर तथा अतिरिक्त उत्तर-पुस्तिका(पुस्तिकाएँ), यदि कोई हों, के साथ मजबूती से बांध दें। उम्मीदवार यदि इन अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। इन शीटों पर अपना अनुक्रमांक न लिखें।

**7. अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित:**

किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपर से नकल न करें, न ही अपने पेपर की नकल करने दें, और न ही किसी भी प्रकार की अनियमित सहायता दें, न ही देने का प्रयास करें, और न ही प्राप्त करने का प्रयास करें। यह प्रत्येक उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा उसके उत्तरों की नकल न की जाएं। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा अनुचित तरीके अपनाने के लिए निर्धारित दंड दिया जाएगा।

**8. परीक्षा भवन में आचरण:**

उम्मीदवार किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें या परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं या परीक्षा के संचालन के लिए तैनात स्टाफ को परेशान करें या उन्हें शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाएं। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा।

9. कृपया परीक्षा हाल में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र तथा उत्तर-पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उनका अनुपालन करें।

## परिशिष्ट-IV

### वस्तुनिष्ठ परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो), उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर अंकित करने के लिए अच्छी किस्म का काला बॉल पेन। उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, परीक्षा हॉल में न लाएं।

**मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में लाना मना है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।**

3. <u>गलत उत्तरों के लिए दंड:</u>

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।**

(i) **प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।**

(ii) **यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार उसी तरह का दंड दिया जाएगा।**

(iii) **यदि उम्मीदवार द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।**

4. **अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित :**

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. **परीक्षा भवन में आचरण:**

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. **उत्तर पत्रक विवरण:**

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक काले बाल प्वांइट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बॉल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हो अथवा उत्तर पत्रकों पर संख्या न हो तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और

परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर और उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या विकृत न करें अथवा बर्बाद न करें अथवा उसमें कोई अवांछित/असंगत निशान न लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अत: उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाएगा, अत: उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए। उम्मीदवार को उत्तर पत्रक में अपने उत्तर अच्छी किस्म के काले बॉल पेन से अंकित करने चाहिए।**

10. **उत्तर अंकित करने का तरीका:**

"वस्तुनिष्ठ " परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है। प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1,2,3... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी)

और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा।

किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा। उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं, प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम हैं तब आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बॉल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है। उत्तर प्रत्रक पर वृत्तों को काला करने के लिए स्याही वाले पेन या पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बॉल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसाकि नीचे दिखाया गया है।

**उदाहरण (a ) • (c) (d )**

## 11. <u>स्कैनेबल उपस्थिति सूची में ऐंट्री कैसे करें :</u>

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, अपने कॉलम के सामने **केवल काले बॉल पेन** से संगत विवरण निम्नानुसार भरना है:-

(i) उपस्थिति/ अनुपस्थिति कॉलम में (p) वाले गोले को काला करें।

(ii) समुचित परीक्षण पुस्तिका शृंखला के संगत गोले को काला करें।

(iii) समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।

(iv) उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।

(v) संगत कॉलम में अपने हस्ताक्षर करें।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण करता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

12. परीक्षा की निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पहले उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है

## अनुबंध

**परीक्षा कक्ष में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें**

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे। उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई हो। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

| Centre | Subject | S. Code | | Roll Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्र | विषय | विषय कोड | | अनुक्रमांक | |

मान लें कि आप सामान्य अध्ययन परीक्षण के प्रश्न-पत्र* के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बॉल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।*

| Centre केन्द्र | Subject विषय | S. Code विषय कोड | 99 | | Roll Number अनुक्रमांक | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | सामान्य | (ए) | | | | | | | | | |

**अध्ययन परीक्षा**

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बॉल पेन से लिखें। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें कोने पर ए बी सी अथवा डी द्वारा दी गई है।

आप काले बॅल पेन से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके ई-प्रवेश पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप समय सारणी में से समुचित विषय कोड ढूंढें। अब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य काले बॉल पेन से करें। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए।

'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के सामान्य योग्यता विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 99 लिखना है, इसे लिखें।

पुस्तिकाक्रम
Booklet Series **(A)**
------------------------

● 
B ○
C ○
D ○

विषयकोड
Subject Code **9 9**
--------------------------

0 ○ ○ 0
1 ○ ○ 1
○ 2 ○ 2
○ 3 ○ 3
○ 4 ○ 4
○ 5 ○ 5
○ 6 ○ 6

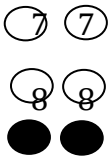

बस इतना करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '9' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कॉलम में) और 9 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे।

| महत्वपूर्ण: कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है। |
|---|

अनुक्रमांक

Roll Numebrs

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 |

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

**परिशिष्ट -V**

**परीक्षार्थी में लिखने की शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती..... (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार का नाम) सुपुत्र श्री/सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... (गाँव/जिला/राज्य) जो ..... (दिव्यांगता प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और प्रतिशतता) से ग्रस्त हैं, का परीक्षण किया है तथा मैं यह कथन करता हूँ कि वह शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हैं जो उनकी शारीरिक सीमाओं के कारण उनकी लेखन क्षमता को बाधित करती है।

**हस्ताक्षर**

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक**

**सरकारी स्वास्थ्य संस्था**

**नोट :** प्रमाण पत्र संबंधित रोग/दिव्यांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए नेत्रहीनता-नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर दिव्यांगता -हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर)

**परिशिष्ट -VI**

## अपने स्क्राइब की सुविधा लेने हेतु परिवचन

**(उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को भेजा जाए)**

मैं ..... (नाम),..... (दिव्यांगता का नाम) दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवार हूँ तथा अनुक्रमांक..... के तहत..... (राज्य का नाम), ..... जिले के..... (परीक्षा केंद्र का नाम) केंद्र पर..... (परीक्षा का नाम) की परीक्षा में बैठ रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता ..... है।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिये श्री ..... (स्क्राइब का नाम) मुझे स्क्राइब/रीडर/लैब असिस्टेंट की सेवा प्रदान करेंगे।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता ..... है। यदि बाद में यह पाया जाता है की उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित किए गए अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक पाई जाती है तो मैं इस पद और तत्संबंधी दावों पर अधिकार से वंचित कर दिया जाऊंगा।

**(दिव्यांगता वाले उम्मीदवार का हस्ताक्षर)**

**स्थान :**

**तारीख :**

**परिशिष्ट-VII**

**विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।**

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती .....(उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री ....., निवासी ..... (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु ..... वर्ष की जांच की है जो ..... (दिव्यांगता का स्वरूप/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक ..... तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

| (हस्ताक्षर एवं नाम) | (हस्ताक्षर एवं नाम) | (हस्ताक्षर एवं नाम) | (हस्ताक्षर एवं नाम) | (हस्ताक्षर एवं नाम) |
|---|---|---|---|---|
| हड्डी रोग | नैदानिक मनोविज्ञानी | न्यूरोलॉजिस्ट (यदि | ऑक्यूपेशनल | अन्य विशेषज्ञ, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ | (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्यूकेटर) | उपलब्ध है) | थिरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है) | अध्यक्ष द्वारा यथा नामित (यदि कोई हो) |
| (हस्ताक्षर एवं नाम) | | | | |
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी …….. अध्यक्ष | | | | |

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था का नाम

स्थान:

दिनांक:

**परिशिष्ट-VIII**

**विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।**

मैं ....., ..... (दिव्यांगता का स्वरूप/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो ..... (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक ....., ..... (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला ....., ..... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता ..... है।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए मेरी ओर से ..... (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता ..... है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता मेरी घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

**(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)**

**स्थान:**

**दिनांक:**